पत्र पेटेंट अपील

न्यायधीश आर.एस. नरूला और न्यायधीश एच. आर. सोढ़ी के समक्ष

राम चंद, - अपीलकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य आदि, - प्रतिवादी। पत्र पेटेंट अपील संख्या 762, 1970। 15 अप्रैल, 1971।

अधिनियम (1949 का XXXVIII, 1957 के अधिनियम XXIV द्वारा संशोधित)—धारा 6—भारत का संविधान (1950)— अनुच्छेद 13(2) और 14—पंजाब किरायेदारी अधिनियम (1887 का XVI)—धारा 77— जैसा कि 1957 के अधिनियम 24 की धारा 2 द्वारा 1949 के अधिनियम 38 में प्रस्तुत किया गया था - चाहे वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(2) और 14 में अधिकारातीत हो- अधिनियम 24 के अन्य प्रावधान क्या धारा 2 से अलग हैं -बाद में धारा 6 द्वारा अधिनियमित वैकल्पिक उपाय को हटाना-चाहे धारा को मान्य करता हो।

यह निर्धारित किया गया कि पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम, 1957 के 24 की धारा 2 द्वारा, प्रमुख अधिनियम, पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 का 38 में धारा 6 को समिलित किया गया है । इस धारा में अधिनियम के तहत दिए गए पट्टे का निर्धारण करने के लिए दो वैकल्पिक उपचार प्रदान किए गए हैं। इस धारा के लागू होने से पहले, कलेक्टर के पास पंजाब किरायेदारी अधिनियम की धारा 77 के तहत एक पट्टा निर्धारित करने और राजस्व न्यायालय में सामान्य नागरिक कार्यवाही का सहारा लेकर एक पट्टेदार को निकालने का अधिकार था। 1957 में अधिनियमित अधिनियम की धारा 6, कलेक्टर को पंजाब किरायेदारी अधिनियम की धारा 77 के तहत पहले से मौजूद सामान्य उपाय की तुलना में एक वैकल्पिक और अधिक कठोर उपाय उपलब्ध कराती है। इसलिए, धारा 6 संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत शून्य है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी का उल्लंघन है। (पैरा 29).

यह निर्धारित किया गया कि पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम, 24 1957 के अन्य प्रावधान इससे अलग नहीं किए जा सकते और उसकी धारा 2 से स्वतंत्र और अलग नहीं रह सकता जिसके तहत धारा 6 को मूल अधिनियम, 38, 1949 में शामिल किया गया था। (पैरा 29).

यह निर्धारित किया गया कि धारा 6 संविधान के लागू होने के बाद बनाया गया एक कानून है। संविधान के बाद का कानून होने के नाते और संविधान के अनुच्छेद 13(2) में निहित स्पष्ट निषेध के उल्लंघन में बनाया गया था, जो शुरू से शून्य था, और कानून की नजरों में अस्तित्वहीन था। बाद में धारा 6 को केवल अगली तारीख से वैकल्पिक उपाय हटाकर मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी उपस्थिति के कारण धारा 6 घृणित भेदभाव के दोष से ग्रस्त थी। (पैरा 29).

माननीय श्री न्यायमूर्ति सी.जी. सूरी द्वारा 1970 के सिविल रिट संख्या 1591 में पारित 26 नवंबर, 1970 के आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील।

नंद सरूप, वरिष्ठ वकील, एस.एम. मिश्री और आर.एन. नरूला, वकील, अपीलकर्ता के साथ।

जे. एन. कौशल, एडवोकेट-जनरल (हरियाणा), एशोक भान और

सी डी. दीवान, अतिरिक्त एडवोकेट- जनरल (हरियाणा), 'उत्तरदाताओं के लिए, के साथ।

निर्णय

न्यायधीश आर. एस. नरूला.-(1) ये सभी पांच पत्र पेटेंट अपीलें

(संख्या 762 से 765 और 767, 1970) एक विद्वान एकल न्यायाधीश, दिनांक 26 नवंबर, 1970 के सामान्य फैसले से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत पांच संबंधित अपीलकर्ताओं की रिट याचिकाएं मुख्य रूप से पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम (1949 का 38) (पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग की धारा 2 द्वारा प्रस्तुत) की धारा 6 की वैधता और संवैधानिकता का विरोध करती हैं। अधिनियम, 1957 का 24, 1949 अधिनियम उस समय तक संशोधित) को खारिज कर दिया गया। इनमें से केवल एक मामले (1970 का एल.पी.ए. 762) के तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि उन तथ्यों और अन्य चार मामलों के इतिहास के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है, जहां तक कि निर्णय लेने के लिए वही प्रासंगिक हैं। बिंदू हमारे सामने तर्क दिए गए।

- (2) कलेक्टर, करनाल ने, राम चंद्र अपीलकर्ता को बीस साल के लिए दस एकड़ बंजर भूमि (जिसमें से उन्होंने अधिनियम की धारा 3 के तहत कब्जा कर लिया था) बीस साल के लिए 31 अगस्त 1954 को 3 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर पट्टे पर दे दी। यह पट्टा अधिनियम की धारा 5 के तहत दिया गया था। पट्टे के दस्तावेज की प्रतिलिपि उत्तरदाताओं के लिखित बयान के साथ संलग्न है। पट्टे की शर्तों क्रमांक 1 और 2 में प्रावधान है कि पहले वर्ष भूमि का किराया का भुगतान 25 जनवरी, 1955 तक किया जाना था, और बाद के वर्षों का किराया प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को देय था; पट्टे के अंतिम दो वर्षों का किराया अग्रिम रूप से देय होगा। पट्टेदार को समनुदेशन नहीं करना था; स्थानांतरण करना; भूमि को गिरवी रखना या उप-िकराए पर देना (शर्त संख्या 6)। सातवीं वाचा में कहा गया है कि पट्टेदार अपनी भूमि का उपयोग केवल भोजन और चारे की फसल बोने के लिए करेगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। पट्टेदार को 23 मई, 1955 तक पट्टे की भूमि के आधे हिस्से को पुनः प्राप्त करना और खेती के अधीन लाना था, और शेष आधे को 23 फरवरी, 1956 तक (शर्त संख्या 8) वापस लेना था। पट्टे की नौवीं अवधि में पट्टेदार को पट्टे की शर्तों के उचित पालन और ईमानदारी से प्रदर्शन के लिए पट्टे की शुरुआत में सुरक्षा के रूप में एक निर्धारित राशि कलेक्टर के पास जमा करने की आवश्यकता होती है। पट्टे की शर्तों संख्या 11, 15 और 16 निम्नलिखित शर्तों में थीं: —
- "11. पट्टेदार द्वारा पालन की जाने वाली और निष्पादित की जाने वाली किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में; कलेक्टर को, अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पट्टा निर्धारित करने और भूमि पर कब्ज़ा लेने का अधिकार होगा। उस स्थिति में पट्टेदार किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।
- 15. पट्टेदार समय-समय पर संशोधित पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम के सभी प्रावधानों के अधीन होगा।

16. यदि कलेक्टर और पट्टेदार के बीच किसी भी समय इस विलेख में किसी भी खंड के अर्थ या प्रभाव या उसके पक्षों के अधिकारों या देनदारियों के संबंध में कोई प्रश्न या विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसे सभी प्रश्न या विवाद; जहां तक उनका निर्णय उक्त अधिनियम में प्रदान किया गया है, उसे संदर्भ के समय के रूप में कार्य करने वाले प्रभाग के आयुक्त की मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जिसका निर्णय निर्णायक और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।"

(3) 1954 से लेकर 1969 के अंत तक पट्टे की किसी भी शर्त के उल्लंघन या गैर-निष्पादन के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ किसी भी शिकायत का कोई आरोप नहीं है। अपीलकर्ता के अन्सार, उसने वास्तव में 3 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से देय राशि से अधिक किराया च्काया था क्योंकि वास्तव में चकबंदी के बाद उसे 10 एकड़ के निर्धारित क्षेत्र के म्काबले 9.5 एकड़ जमीन सौंप दी गई थी, और वह 30 रुपये प्रति वर्ष का भ्गतान कर रहा था। 19 अप्रैल, 1970 को, पटवारी हलका ने अपीलकर्ता को अगले दिन, यानी, 20 अप्रैल, 1970 को उस कलेक्टर को कारण बताने के लिए सूचित किया की वर्ष 1970 के लिए अग्रिम लीज़-मनी के रूप में देय, 30 रुपये के भ्गतान में चूक के कारण उसका पट्टा क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए। माना जाता है कि नोटिस की कोई प्रति (जिस पर अपीलकर्ता को उसकी सामग्री की स्वीकृति में हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था या उसे अवगत कराया गया था) उसे वितरित नहीं किया गया था या उसके पास नहीं छोड़ा गया था। हालाँकि, उस नोटिस की एक प्रति (अन्लग्नक आर/2) प्रतिवादियों द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर रिटर्न के साथ प्रस्त्त की गई थी। रिट, याचिका के पैराग्राफ 6 में अपीलकर्ता द्वारा यह कहा गया था कि जब वह 20 अप्रैल, 1970 को प्रतिवादी संख्या 2 की अदालत में उपस्थित हुआ, तो उसका बयान श्री बालम्कंद द्वारा दर्ज किया गया था; नायब तहसीलदार, कैथल, (प्रतिवादी संख्या 4),, जो प्रतिवादी संख्या 2 के न्यायालय कक्ष से अलग एक कमरे में बैठा था। अपीलकर्ता उस समय गवाही देने का दावा करता है; (i) कि भ्गतान में देरी पिछली प्रथा के कारण हुई थी जिसके अन्सार पिछले वर्षों में 15 जनवरी से पहले भ्गतान पर जोर नहीं दिया गया था; (ii) वास्तव में उनके द्वारा पहले ही सरकार को अतिरिक्त राशि का भ्गतान कर दिया गया था जो कि 1970 के लिए देय लीज-धन से अधिक था; और (iii) कि वह त्रंत संबंधित राशि का भ्गतान करने के लिए तैयार था। राज्य रिटर्न के संबंधित पैराग्राफ में, अपीलकर्ता के बयान को एक अलग कमरे में दर्ज किए जाने के आरोप को छोड़कर, उपर्युक्त में से किसी को भी अस्वीकार नहीं किया गया था। उस संबंध में यह दावा किया गया था कि अपीलकर्ता का बयान पटवारी द्वारा कलेक्टर के कक्ष में कलेक्टर के आदेश से लिखा गया था। इस बात से इनकार नहीं किया गया कि वास्तव में अपीलकर्ता को दस एकड़ जमीन के बदले में 9.5 जमीन दी गई थी, जिसके लिए वह पट्टा-राशि का भ्गतान कर रहा था। न ही इस बात से इनकार किया गया कि इस तरीके से, अपीलकर्ता ने पहले ही देय राशि के अलावा किराया भी च्का दिया है, जिसकी अतिरिक्त राशि 20 रुपये से अधिक है। अपीलकर्ता का आरोप उसके द्वारा विवादित 30 रुपये का भ्गतान करने के बारे में जो उपरोक्त तथ्यों के बावजूद 1 मई 1970 को, स्नवाई की तारीख के बाद, यानी 20 अप्रैल 1970 को विवाद में भी नहीं है। अपीलकर्ता के बयान की एक प्रति, दिनांक अप्रैल 20, 1970, प्रतिवादी द्वारा उनके रिटर्न में अन्लग्नक आर/3 के रूप में प्रस्त्त की गई है। लिखित बयान के पैराग्राफ 8 में, यह विशेष रूप से स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्ता ने उसी समय जब वह 20 अप्रैल, 1970 को कलेक्टर के सामने उपस्थित हुए 30 रुपये की राशि का भुगतान करने की पेशकश की थी। उसी तारीख को, यानी 20 अप्रैल, 1970 को; कलेक्टर ने विवादित आदेश (रिट याचिका के अन्लग्नक 'ए' की प्रतिलिपि) पर हस्ताक्षर किए, जिसका मूल हमें विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिखाया गया है, और जो पांड्लिपि में रिक्त स्थान भरे ह्ए एक

टाइप किए गए फॉर्म पर था (गलती से रिट याचिका में साइक्लोस्टाइल के रूप में वर्णित), और अपीलकर्ता के पट्टे का निर्धारण कर रहा था। उस आदेश में कहा गया है कि भूमि की माप 76 कनाल 6 मारला है मूल रूप से अपीलकर्ता को पट्टे पर दी गई भूमि के बदले में समेकन कार्यवाही में उसे दे दिया गया था और भूमि का किराया 3 रुपये प्रति एकइ प्रति वर्ष का भुगतान करना पड़ा था।। अपीलकर्ता द्वारा भुगतान की गई कथित अतिरिक्त राशि के प्रश्न में प्रवेश किए बिना और उसके द्वारा किराया भुगतान करने की पेशकश के प्रश्न पर ध्यान दिए बिना, अपीलकर्ता को संदर्भ दिया गया था। अपीलरकर्ता की स्वीकारोक्ति है कि 30 रु. सरकार के हिसाब से देय थे, और यह माना गया कि अपीलकर्ता ने, इसलिए, पट्टे की पहली शर्त का उल्लंघन किया था। यह उस संक्षिप्त आधार पर था कि 76 कनाल 6 मरला भूमि के संबंध में अपीलकर्ता का पट्टा आक्षेपित आदेश द्वारा रदद कर दिया गया था। जिस रिट याचिका से यह अपील उत्पन्न हुई है, उसे राम चंद द्वारा इस न्यायालय में दायर किया गया था, जिसमें आदेश परिशिष्ट 'ए' को रदद करने और उत्तरदाताओं को विवाद में भूमि से अपीलकर्ता को बेदखल करने से रोकने की प्रार्थना की गई थी। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता की बेदखली पर याचिका स्वीकार होने के समय अंतरिम रूप से रोक लगा दी गई थी, और बाद में मामले के निपटारे तक रोक की पृष्टि की गई थी।

- (4) रिट याचिका का प्रतिवादियों द्वारा विरोध किया गया था, जिनकी ओर से श्री राम नारायण सिंह, एस.डी.ओ., (सिविल)-सह-कलेक्टर, कैथल का एक हलफनामा संलग्नक के साथ दायर किया गया था, जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। यह दर्शाने के लिए रिटर्न के साथ अनुलग्नक आर/4 संलग्न किया गया था कि कलेक्टर, करनाल ने अधिनियम के तहत अपने में निहित कलेक्टर की सभी शक्तियां अधिनियम की धारा 12 के तहत कलेक्टर की प्रतिनिधिमंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए करनाल जिले में सभी उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को सौंप दी थीं। रिट याचिका दायर करने के बाद अधिनियम में किए गए कुछ संशोधनों को प्रासंगिक कानून का इतिहास देते समय संदर्भित किया जाएगा। 26 नवंबर, 1970 को अपने फैसले से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। इस स्तर पर उस प्रासंगिक कानून का इतिहास बताना आवश्यक प्रतीत होता है जिसके साथ विद्वान एकल न्यायाधीश को इन सभी मामलों से निपटना पड़ा।
- (5) इसके आधार पर 26 नवंबर, 1949 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन करके मुख्य अधिनियम लागू हुआ। इसकी धारा 1 की उप-धारा (3) में प्रावधान था कि अधिनियम को इसके प्रारंभ होने की तारीख से केवल दो साल की अविध के लिए लागू रहना था। धारा 2(बी) में "कलेक्टर" को उस जिले के कलेक्टर के रूप में पिरभाषित किया गया था जहां भूमि स्थित थी। अधिनियम की धारा 3 कलेक्टर को किसी भी समय किसी भी भूमि पर कब्ज़ा लेने के लिए अधिकृत करती है उस भूमि के मालिक को इस आशय का नोटिस भेजकर पिछली दो या अधिक फसलों के लिए खेती नहीं की गई थी कि कलेक्टर ने उस प्रावधान के अनुसरण में ऐसी भूमि पर कब्ज़ा करने का निर्णय लिया है। धारा 3 की भाषा से यह नोटिस करना महत्वपूर्ण है कि उस प्रावधान के तहत जारी किया जाने वाला नोटिस भूमि-मालिक को यह कारण बताने का अवसर देने के उद्देश्य से नहीं था कि भूमि क्यों नहीं दी जानी चाहिए। कलेक्टर द्वारा कब्ज़ा कर लिया जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य केवल कलेक्टर के भूमि पर कब्ज़ा लेने के निर्णय की सूचना देना था। अधिनियम की धारा 3(1) को इसके विपरीत किसी भी कानून के बावजूद अधिभावी प्रभाव दिया गया था। धारा 4 के तहत जमीन के कब्ज़े से बाहर रहने के लिए जमीन के मालिक को कलेक्टर से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है, धारा 3 के तहत मुआवजा उस इलाके में जमीन के प्रचलित किराए से कम

नहीं होना चाहिए। समान परिस्थितियों में भूमि, और निर्धारित तरीके से निर्धारित की जानी थी। धारा-5 ने कलेक्टर को भूमि (जिसमें से वह धारा 3 के तहत कब्ज़ा ले सकता है) को ऐसे नियमों और शर्तों पर किसी भी व्यक्ति को विकास के उद्देश्य से-, जैसा कि वह उचित समझे " भोजन और चारे की फसलें उगाने के लिए पट्टे पर देने के लिए अधिकृत किया।" धारा 5 के प्रावधान में निर्देश दिया गया है कि निष्क्रांत भूमि के मामले में, पट्टे की अविध एक समय में एक फसल से अधिक नहीं होनी चाहिए, और गैर-निष्क्रिय भूमि के मामले में पट्टे की अविध दो साल एक समय में एक फसल से अधिक नहीं होनी चाहिए। । मूल रूप से अधिनियमित अधिनियम की धारा 6 निम्नान्सार प्रदान की गई है: —

"पट्टे की समाप्ति।—(1) कलेक्टर, इस संबंध में उसे दिए गए एक आवेदन पर संतुष्ट होने पर की मालिक ने भूमि पर खेती करने की व्यवस्था की है, वह धारा 5 के तहत उसके द्वारा दिए गए पट्टे को समाप्त कर देगा।

- (2) जिस भूमि का उप-धारा (1) के तहत पट्टा समाप्त कर दिया गया है, मालिक उसका कब्जा पाने का हकदार होगा, यदि वह कलेक्टर को मुआवजे की ऐसी आनुपातिक राशि, यदि कोई हो, वापस कर देता है, जैसा कि धारा 4 के तहत उसे भुगतान किया गया था और जैसा कि कलेक्टर निर्धारित कर सकता है, बशर्ते कि भूमि पर खड़ी फसल की कटाई से पहले भूमि किरायेदार से मालिक को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
- (3) एक किरायेदार जिसका पट्टा उप-धारा (1) के तहत समाप्त हो गया है मुआवजे के लिए, हकदार नहीं होगा सिवाय ऐसे मुआवजे के जो इस अधिनियम के तहत उसे पट्टे पर दी गई भूमि पर उसके द्वारा किए गए किसी भी सुधार के लिए कलेक्टर द्वारा तय किया जा सकता है। धारा 7 में कहा गया है कि जहां कलेक्टर द्वारा कब्जे में ली गई कोई भी भूमि पट्टे की समाप्ति या उसके पहले समाप्ति पर मालिक को वापस की जानी है, कलेक्टर लिखित रूप में उस व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है जिसका कब्जा है जमीन देनी होगी। धारा 8 में किरायेदार दवारा भोजन या चारा फसल उगाने में विफलता के लिए दंड का प्रावधान निम्नलिखित शब्दों में किया गया है: -

"जहां किरायेदार उसे पट्टे पर दी गई भूमि पर भोजन या चारा फसल उगाने में विफल रहता है, वह धारा 5 के तहत निर्धारित किराए के भुगतान के अलावा, ऐसे किराए के दोगुने से अधिक नहीं होने वाला जुर्माना भी देने के लिए उत्तरदायी होगा।"

धारा 11 कलेक्टर को ऐसे कदम उठाने का अधिकार देती है। अधिनियम के तहत उसके द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बल का उपयोग करें या उपयोग करवाएं जो उसकी राय में उचित रूप से आवश्यक हो। धारा 12 ने कलेक्टर को अधिनियम के तहत अपनी सभी या कुछ शक्तियों और कार्यों को अपने जिले में राजस्व या पुनर्वास विभाग के किसी भी अधिकारी को नाम या पदनाम से सौंपने के लिए अधिकृत किया। धारा 13 में कहा गया है कि फिलहाल लागू किसी भी कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा लिखित पट्टे को प्रभावी करने के लिए स्टाम्प, सत्यापन या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। धारा 14 किसी भी मामले पर कलेक्टर का निर्णय करती है, जिस पर उसे अधिनियम के तहत अंतिम और निर्णायक निर्णय देने का अधिकार है, और किसी भी अदालत में या इससे पहले किसी भी हमले के खिलाफ प्रतिरक्षा अधिकारी या प्राधिकारी, अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा अच्छे विश्वास में किए गए किसी भी काम के संबंध में मुकदमे, अभियोजन और अन्य कानूनी कार्यवाही धारा 15 द्वारा वर्जित हैं। धारा 16

प्रांतीय सरकार को इसे लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। 1949 का पूर्वी पंजाब विधेयक संख्या 39, जो अंततः 1949 अधिनियम बन गयाः —

"यह सरकार के ध्यान में लाया गया है कि उपजाऊ भूमि के बड़े हिस्से लापरवाही या विस्थापित या स्थानीय जमींदारों की अनुपस्थित के कारण बंजर रह सकते हैं। । सरकार की नीति जहां तक संभव हो खेती योग्य भूमि का एक इंच भी बिना बोए नहीं छोड़ना है। भोजन के मामले में आत्मनिर्भरता 1951 के अंत तक प्राप्त की जानी थी, लेकिन यह तिथि अब भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 1950 के अंत से पूर्व निर्धारित की गई है। यह वास्तव में खेदजनक है कि पूर्वी पंजाब, जो कि एक घाटे वाला प्रांत है, में भूमि को बंजर रहने दिया जाना चाहिए। यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई, तो 1950 के बाद आबादी के एक बड़े हिस्से को भूखा रहना पड़ेगा, जब विदेशों से खाद्यान्न के सभी आयात को रोकने का प्रस्ताव है। सरकार ने ऐसे जमींदारों को मनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी भी रबी, 1949-50 के दौरान उपजाऊ और खेती योग्य भूमि के बड़े हिस्से के बिना बोए रह जाने की संभावना है। इसलिए, विधेयक का उद्देश्य भोजन के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पूर्वी पंजाब में सभी उपलब्ध भूमि को चारे और खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत लाना है। (पूर्वी पंजाब सरकार राजपत्र के पृष्ठ 1130 पर प्रकाशित असाधारण, दिनांक 18 अक्टूबर, 1949)।

(7) राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, पंजाब भूमि उपयोग नियम, 1950, 20 फरवरी 1950 को पंजाब सरकार द्वारा बनाए और जारी किए गए थे। तब बनाए गए कोई भी नियम हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है। मूल अधिनियम, जिसे केवल दो वर्षों तक लागू रहना था, समय के साथ 25 नवंबर, 1951 को समाप्त हो गया। हालांकि, इससे पहले, पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग (संशोधन) अधिनियम (1951 का 11) प्रकाशित ह्आ और लागू ह्आ। 1951 के अधिनियम ने मूल अधिनियम की प्री योजना को बदल दिया। धारा 1 की उप-धारा (3) जिसने मूल अधिनियम का जीवन दो वर्ष तय किया था संशोधित अधिनियम की धारा 2 द्वारा हटा दिया गया था। धारा 3 में निर्धारित भूमि पर कब्ज़ा करने का आधार और प्रक्रिया आमूल-चूल बदल दी गई। म्ल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में, "दो या दो से अधिक फसल काटने वालों के मालिक को इस आशय की सूचना देकर कि उसने ऐसी भूमि पर कब्ज़ा करने का निर्णय लिया है" के लिए इस धारा के अन्सरण में इन शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया "छह या अधिक फसल के मालिक को एक नोटिस देने के बाद कि, यदि वह ऐसी उचित अविध के भीतर भूमि पर खेती नहीं करता है जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है, कलेक्टर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि पर कब्ज़ा कर सकता है।" इस बदलाव के कारण ज़मीन मालिक को उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने से पहले कारण बताओ नोटिस देना ज़रूरी हो गया। इसने भूस्वामी को भूमि से बेदखल होने का सफलतापूर्वक विरोध करने का अधिकार दिया, यदि वह कलेक्टर को यह विश्वास दिला सके कि वह नोटिस में निर्दिष्ट उचित अविध के भीतर भूमि पर खेती करने के लिए तैयार है। भूस्वामी को दिए जाने वाले म्आवजे की मात्रा निर्धारित करने की विधि भी बदल दी गई। मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) को निम्नलिखित प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था: -

"जहां किसी भी भूमि का कब्जा पूर्ववर्ती धारा (धारा 3) के तहत लिया जाता है, वहां मुआवजा दिया जाएगा, जिसकी राशि का मूल्यांकन कलेक्टर द्वारा, जहां तक संभव हो, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, में संशोधित धारा 23 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।" धारा 5 में संशोधन किया गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि संशोधित अधिनियम के तहत दिए जाने वाले पट्टे की अवधि सात साल से कम नहीं

होगी और बीस वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1951 के अधिनियम द्वारा लाए गए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक यह था कि मूल अधिनियम की धारा 6, जो कलेक्टर को पट्टे को रद्द करने या समाप्त करने के लिए अधिकृत करती थी, को संशोधित अधिनियम की धारा 6 द्वारा पूरी तरह से हटा दिया गया था। परिणामस्वरूप, मूल अधिनियम की धारा 7 से "या इसकी पूर्व समाप्ति" शब्द हटा दिए गए। इसी प्रकार धारा 9 (जिसमें मालिक द्वारा भूमि पर खेती न करने पर जुर्माने का प्रावधान था) को हटा दिया गया। 1951 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण पंजाब विधानमंडल में 1951 के विधेयक संख्या 7 (में प्रकाशित) के परिचय के समय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया था। पंजाब सरकार राजपत्र, असाधारण, दिनांक फरवरी 22, 1951), निम्नलिखित शब्दों में: —

"यह सरकार के ध्यान में लाया गया है कि पट्टे की दो साल की छोटी अवधि अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के रास्ते में खड़ी थी, क्योंकि कोई भी कृषक इतनी कम अविध के लिए भूमि लेने के लिए सहमत नहीं हुआ। यह आवश्यक माना गया है कि निष्क्रांत और गैर निष्क्रांत भूमि दोनों के लिए पट्टे की अविध कम से कम आठ वर्ष होनी चाहिए और पट्टे को समाप्त करने की शक्ति भी उपायुक्तों से वापस ले ली जानी चाहिए। इसलिए, विधेयक का उद्देश्य अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करना है तािक पंजाब में सभी उपलब्ध भूमि को चारे और खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत लाया जा सके तािक भोजन के मामले में आत्मिनर्भरता प्राप्त की जा सके। "संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के उपरोक्त उद्धृत कथन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डिप्टी किमश्नर (कलेक्टर) से पट्टे की समाप्ति के संबंध में शक्ति वापस लेने का विधानमंडल का इरादा था। ये इरादा उपरोक्त उद्धृत संशोधन के लागू होने के बाद मुख्य अधिनियम की धारा 6 को हटाने में परिलक्षित होता है।

- (8) मुख्य अधिनियम में अगला संशोधन पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग (संशोधन) अधिनियम द्वारा किया गया था। (1953 का 32)। उक्त संशोधन द्वारा मूल अधिनियम की धारा 4 में परिवर्तन किया गया है तािक कलेक्टर को भूमि मािलक को देय मुआवजे से उसके संबंध में किए गए व्यय की रािश में कटौती करने के लिए अधिकृत किया जा सके। भूमि आदि के उपयोग से संबंधित कोई भी प्रारंभिक प्रक्रिया हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है। इसी प्रकार पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग (संशोधन) अधिनियम, 1956 (पंजाब अधिनियम संख्या 39, 1956) द्वारा मूल अधिनियम में कुछ अन्य परिवर्तन भी लाए गए। उस संशोधित अधिनियम को उस मामले में भूस्वामी को नोटिस जारी करने के प्रावधान को खत्म करने के उद्देश्य से पारित किया गया था, जब भूस्वामी ने गलत तरीि से राजस्व रिकॉर्ड में उस भूमि पर खेती की थी, जो वास्तव में अन्यथा थी। पिछली छह या अधिक फ़सलों के लिए बंजर खेती की गई; और दूसरा, आयुक्तों को स्वप्रेरणा से या उन्हें किए गए आवेदन पर रिकॉर्ड भैजने और रिकॉर्ड की जांच करने के बाद दिए गए आदेश को संशोधित करने, संशोधित करने या रद्द करने की शक्तियां प्रदान करना। इन वस्तुओं का उल्लेख पंजाब गजट, असाधारण, दिनांक 21 अगस्त, 1956 में प्रकाशित वस्तुओं और कारणों के विवरण में किया गया है। इन वस्तुओं को धारा 3 के स्थान पर नई उपधारा (1) रखकर मूल अधिनियम में संबंधित प्रावधान; और 1949 अधिनियम की धारा 14 की एक नई उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करके प्राप्त किया गया था। । इसलिए, मैं फिलहाल 1953 और 1956 के अधिनियमों में संशोधन द्वारा किए गए संशोधनों को नजरअंदाज कर रहा हं।
- (9) चूंकि इस विषय पर कानून 1952 में बना था, इसलिए इसमें कोई प्रावधान नहीं था। किसी भी पट्टे को निर्धारित करने के लिए कलेक्टर को अधिकृत करने वाला अधिनियम, अधिनियम की मूल धारा 6 को 1951 के

संशोधित अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। जब विषय उस स्थिति में था, तो कलेक्टर, करनाल ने अपने आदेश, दिनांक 9 सितंबर, 1952 द्वारा, एक लाडली प्रसाद जयसवाल का पट्टा रद्द कर दिया और उन को निर्देश दिया कि अधिनियम की धारा 5 के तहत उन्हें जो जमीन दी गई थी, उसका कब्जा उनसे इस आधार पर वापस ले लिया जाए कि वह पट्टे की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं, चूँकि उन्होंने 15 जनवरी, 1952 से पहले जमीन का किराया नहीं चुकाया था। लाडली प्रसाद जायसवाल ने इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसे एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। उस फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील की अनुमति देते समय, इसे इस अदालत की एक डिवीजन बेंच (भंडारी, सी.जे., और बिशन नारायण, जे.) द्वारा आयोजित किया गया था और श्री लाडली प्रसाद जयसवाल बनाम कलेक्टर, करनाल में, कि यह निर्धारित करना कलेक्टर की क्षमता में नहीं था कि अधिनियम की धारा 5 के तहत दिए गए पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया था या नहीं और यदि कलेक्टर की राय थी कि पट्टेदार ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो यह उसके लिए खुला था कि वह सामान्य कानून के तहत ऐसे उपाय अपनाए जैसा वह उचित समझे, लेकिन वह स्वयं पट्टा रद्द नहीं कर सकता। यह उस संदर्भ में था कि यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 8 और 10 के प्रावधान इस तर्क के विरुद्ध प्रतीत होते हैं कि कलेक्टर एक स्वतंत्र न्यायिक न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना पट्टा रद्द करने के लिए स्वतंत्र था, और यह कि कलेक्टर अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है और पट्टेदार को बल प्रयोग द्वारा भूमि से बाहर निकालने का निर्देश नहीं दे सकता है।

(10) उपस्थित सभी विद्वान वकील इससे पहले कि हम इस बिंदु पर सहमत थे कि पट्टे की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में पट्टेदार को बेदखल करने के लिए कलेक्टर को जो सामान्य कानूनी उपाय उपलब्ध हो सकता है, वह केवल किरायेदारी अधिनियम की धारा 77 के तहत एक राजस्व न्यायालय के समक्ष कार्यवाही हो सकती है और कोई अन्य नहीं। इस न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय की घोषणा के बाद, सरकार को एहसास हुआ कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो कलेक्टर को पट्टा समाप्त करने का अधिकार देता हो, इसलिए, राज्य विधानमंडल, मुख्य अधिनियम में संशोधन करने की मांग की गई ताकि कलेक्टर को ऐसे पट्टा-विलेखों के खंड 11 की शर्तों को लागू करने के लिए एक विशिष्ट शक्ति दी जा सके। (लीज-डीड का खंड 11 इस निर्णय के पहले भाग में मेरे द्वारा पहले ही उद्धृत किया जा चुका है)। उस वस्तु को ध्यान में रखते हुए (जैसा कि पंजाब गजट, असाधारण, दिनांक मई 21, 1957 में प्रकाशित वस्तुओं और कारणों के विवरण में निहित है), पूर्वी पंजाब भूमि का उपयोग (संशोधन) अधिनियम (1957 का 24)की धारा 2 द्वारा एक नया प्रावधान अधिनियमित किया गया था, और निम्नलिखित शर्तों में मृल अधिनियम में धारा 6 के रूप में जोड़ा गया: -

- "(1) यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 5 के तहत भूमि पट्टे पर दी गई है किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है तो कलेक्टर को, उसके खिलाफ किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पट्टा निर्धारित करने और भूमि पर कब्ज़ा करने की शक्ति होगी।
- (2) जहां पट्टा कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया गया है, पट्टेदार किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा। "
- (11) अधिनियम में अगला संशोधन पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग (संशोधन) अधिनियम,1960 की धारा 2 द्वारा मूल अधिनियम में पिछली धारा 14 के स्थान पर एक नया प्रावधान जोड़कर किया गया था, जिसने कलेक्टर द्वारा

-

¹ 1956 PLR 548.

पारित आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ आयुक्त के पास अपील करने का अधिकार प्रदान किया और आयुक्त को स्नवाई करने और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की। अपील, और आगे राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वित्तीय आयुक्त को किसी भी अधिकारी के समक्ष लंबित या निपटाए गए किसी भी मामले के रिकॉर्ड की जांच करने की अन्मति दी, और उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित करना जो राज्य सरकार या वितीय आयुक्त उचित समझे। नई धारा 14 की उपधारा (5) में यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति के प्रयोग में किए गए किसी भी आदेश या की गई कार्रवाई पर किसी भी न्यायालय में या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। यह कानून की स्थिति थी जब रिट याचिकाएं, जिनसे वर्तमान अपीलें उत्पन्न ह्ई हैं, मई, 1970 में इस न्यायालय में दायर की गई थीं। उत्तरदाताओं पर रिट याचिकाओं के नोटिस की सेवा के बाद, यह प्रकट होता है यह महसूस किया गया है कि नई धारा 6 की संवैधानिकता पर आपत्ति पट्टेदारों द्वारा इस आधार पर की जा सकती है कि उस प्रावधान द्वारा कलेक्टर में निहित पट्टों को निर्धारित करने की शक्ति अनन्य नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत थी कहा गया है कि पट्टेदारों के खिलाफ "बिना किसी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के" प्रदान किया गया है, और अधिनियम में कलेक्टर को उस मामले के बारे में कोई मार्गदर्शन देने का कोई प्रावधान नहीं था जिसमें वह कर सकता है। अधिनियम के तहत अधिक कठोर उपाय का सहारा लें, और अन्य जिसमें वह कानून के सामान्य न्यायालयों के समक्ष सामान्य निष्कासन कार्यवाही श्रू कर सकता है, और, इसलिए, धारा 6 संविधान के अन्च्छेद 14 का अपमान करने के रूप में शून्य थी। धारा 6 की वैधता पर उस प्रकार के हमले से बचने के प्रयास में, 18 सितंबर, 1970 को पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 1970, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा घोषणा द्वारा अधिनियम में अंतिम संशोधन किया गया था। अध्यादेश की धारा 1 की उप-धारा (2) ने 1 जनवरी, 1968 से इसके प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया। धारा 14-ए के रूप में एक नया प्रावधान अध्यादेश के धारा 2 दवारा मूल अधिनियम में जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति की बेदखली के संबंध में किसी भी म्कदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा, जिसे धारा 5 के तहत भूमि पट्टे पर दी गई थी। बाद में अध्यादेश को पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग (हरियाणा संशोधन) अधिनियम (1970 का 1) द्वारा प्रतिस्थापित करते हुए, आगे बदलाव किया गया और धारा 14-ए निम्नलिखित भाषा में सामने आई: –

" क्षेत्राधिकार पर निषेध।—िकसी भी सिविल या राजस्व न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति की, जिसे भूमि धारा 5 के तहत पट्टे पर दी गई है बेदखली के संबंध में किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।"

उपरोक्त उद्धृत प्रावधान को जनवरी, 1968 के पहले दिन से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था, और 1970 के अध्यादेश 8 को निरस्त कर दिया गया था।

(12) विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि 1957 में मूल अधिनियम में पेश की गई धारा 6, खंड (3) के उप-खंड (ए) के अर्थ के भीतर एक "कानून" थी। संविधान का अनुच्छेद 13, और उस अनुच्छेद के खंड (2) से प्रभावित हुआ क्योंकि इसे संविधान के लागू होने के बाद अधिनियमित किया गया था, और अनुच्छेद 14 द्वारा अपीलकर्ताओं को प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। संविधान ने, हालांकि उक्त कानून ने न तो स्पष्ट रूप से और न ही निहित रूप से, पट्टेदारों को बेदखल करने के लिए एक मुकदमे का सहारा लेकर कलेक्टर के पहले से मौजूद अधिकार को छीन लिया, और विशेष कानून अब अधिनियमित हुआ किरायेदारी

अधिनियम के तहत सामान्य उपाय की तुलना में, पट्टेदारों के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला अधिक कठोर उपाय प्रदान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पट्टेदारों के खिलाफ भेदभाव हुआ था क्योंकि धारा 6 ने इसे कलेक्टर की मनमानी इच्छा पर छोड़ दिया था की वह पट्टेधारियों के विरुद्ध अधिक पूर्वाग्रहपूर्ण प्रक्रिया का सहारा ले। किसी भी मामले या मामलों और अधिनियम में किसी भी मामले में दो वैकल्पिक उपचारों में से एक या दूसरे को अपनाने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तर्क दिया गया है कि विचाराधीन कानून अभी भी पैदा ह्आ था, और इसलिए, 1970 के हरियाणा संशोधन अध्यादेश और 1971 का हरियाणा संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए बाद के संशोधनों द्वारा अधिनियम में कोई जीवन नहीं डाला जा सका। सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 26 नवंबर, 1970 को रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, कि ग्रहण और पुनरुद्धार का सिद्धांत जो केवल अनुच्छेद 13(1) के तहत संविधान-पूर्व कानूनों के मामलों में लागू होता था, उसका संविधान के बाद के कानूनों पर कोई लागू नहीं था, जिसकी वैधता पर अनुच्छेद 13(2) के तहत सवाल उठाया जा सकता है। विद्वान न्यायाधीश ने देखा कि ग्रहण और प्नरुद्धार के सिद्धांत के अन्सार, एक स्थिर जन्मे हुए व्यक्ति ने कभी ताजी हवा में सांस नहीं ली, और प्नर्जीवित होने में असमर्थ था क्योंकि वह कभी भी जीवन में नहीं आया था, लेकिन वही था यह उस माप के बारे में सच नहीं हो सकता जो अस्तित्व में आने पर अच्छे स्वास्थ्य में था। हालाँकि, ग्रहण और प्नरुद्धार का सिद्धांत धारा 6 पर लागू किया गया इस निष्कर्ष पर कि उक्त प्रावधान मूल अधिनियम का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो संविधान-पूर्व विधान का हिस्सा था, और हरियाणा संशोधन द्वारा धारा 14-ए को शामिल करने के बाद भी विवादित आदेश के पारित होने से पहले की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से कलेक्टर के पास उपलब्ध वैकल्पिक उपाय को हटा दिया गया था, और कलेक्टर के पास विवादित प्रावधान के तहत विशिष्ट विशेष उपाय के साथ छोड़ दिया गया था, जिसकी वैधता धारा 6 जिसे इसके अधिनियमन के समय ग्रहण लग गया था, प्नर्जीवित हो गया जब उस ग्रहण को हरियाणा संशोधन- द्वारा हटा दिया गया। विकल्प में यह माना गया कि बाद के संशोधनों के बिना भी खंड 6 असंवैधानिक नहीं था क्योंकि यह कलेक्टर में एक विशेष प्रकार का क्षेत्राधिकार बनाने के लिए प्रतीत होता था जो कि सामान्य उपायों से बह्त अलग था। सिविल या राजस्व न्यायालय, और इस तरह के विशिष्ट क्षेत्राधिकार का निर्माण सिविल या राजस्व न्यायालयों द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए एक स्पष्ट नहीं तो एक निहित बाधा उत्पन्न करता प्रतीत होता है। मामले के उस दृष्टिकोण में, विद्वान एकल न्यायाधीश को यह संदेहास्पद प्रतीत हुआ कि क्या विधायिका के लिए अधिनियम में धारा 14-ए सिम्मिलित करना आवश्यक था। रिट-याचिकाकर्ताओं की ओर से इस आशय का तर्क दिया गया कि धारा 6 इस अतिरिक्त कारण से असंवैधानिक थी कि इसने कलेक्टर को अधिनियम के तहत एक पट्टेदार के पट्टे का निर्धारण करने के लिए बेलगाम या निरंक्श शक्ति प्रदान की थी। किसी भी समय खदेड़ दिया गया। इस आशय का आगे तर्क कि पट्टेदार के नियमों और शर्तों के कथित उल्लंघन कमजोर थे और, भले ही वे अस्तित्व में थे, पट्टों की अचानक और समय से पहले समाप्ति का कोई औचित्य नहीं था जब पट्टों की लगभग पूरी अवधि समाप्त होने वाली थी, इस आधार पर इस पर विचार नहीं किया गया था कि इस प्रकार की दलीलें अपीलकर्ताओं द्वारा आयुक्त या वित्तीय आयुक्त के समक्ष ली जा सकती थीं, और वह तथ्य यह है कि वधावा सिंह आदि बनाम हरियाणा राज्य² में मिट्टी जोतने वालों की मदद करने की सरकार की नीति के मद्देनजर वित्तीय आयुक्त द्वारा कुछ अन्य पट्टेदारों को उन आधारों पर राहत दी गई थी। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि इन सभी मामलों से पता चलता है कि रिट-याचिकाकर्ताओं को

² 1970 L.L.J (Revenue rules) 43.

आवश्यक राहत प्राप्त करने की पूरी उम्मीद थी यदि उन्होंने अधिनियम के तहत वैधानिक उपचार अपनाए होते जो उनके लिए उपलब्ध थे। कलेक्टर द्वारा अपने स्वयं के कारण में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बारे में विवाद को इस आधार पर भी खारिज कर दिया गया था कि उस सिद्धांत पर आधारित निषेध एक प्राधिकरण द्वारा अधिकृत तरीके से आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करने वाले प्राधिकारी पर लागू नहीं होता है। केवल टाइप किए गए या चक्र-शैली वाले फॉर्म में रिक्त स्थान भरकर पारित किया जाना इस आधार पर उचित था कि कलेक्टर को अपनी आधिकारिक क्षमता में एक ही प्रकार के बड़ी संख्या में मामलों से निपटना पड़ता था। अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) के अनुसार प्रतिवादी नंबर 2 के जिले के कलेक्टर नहीं होने की आपित को कलेक्टर के कार्यों के प्रतिनिधिमंडल के कारण खारिज कर दिया गया था क्योंकि अधिनियम की धारा 12 के तहत उप-विभागीय अधिकारी को कलेक्टर के काम सौंप दिए थे।

(13) इन अपीलों के साथ हमारे द्वारा स्नी गई रिट याचिकाओं की संख्या धारा 6 की संवैधानिकता से संबंधित है। श्री आनंद सरूप, जिन्होंने इस संबंध में तर्कों का नेतृत्व किया, ने प्रस्त्त किया कि 1957 अधिनियम, जिसका म्ख्य प्रावधान नव अधिनियमित धारा 6 है, श्रू से ही शून्य था क्योंकि यह अन्च्छेद 13(2) से प्रभावित था। चूँकि उक्त प्रावधान उल्लंघन था और अन्च्छेद 14 के प्रतिकृल था क्योंकि इसमें धारा 5 के तहत दिए गए पट्टे का निर्धारण करने और किरायेदार को बेदखल करने का निर्देश देने के लिए दो वैकल्पिक उपचार प्रदान किए गए थे, जिनमें से एक उपाय उन मामलों के बारे में कोई मार्गदर्शन प्रदान किए बिना, जिनमें एक या दूसरे उपाय का पालन किया जाना चाहिए, दूसरे की त्लना में अधिक कठोर और कठिन है, और अधिक आगे बढ़ाने के लिए इसे कलेक्टर की मनमानी और मधुर इच्छा पर छोड़ दिया गया है। पहला बिंदु जो इस तर्क को निपटाने के लिए निर्णय की मांग करता है वह यह है कि क्या 1957 का अधिनियम और 1957 में म्ख्य अधिनियम में पेश की गई धारा 6 के मामले में, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा माना जाता है एक संविधान-पूर्व कानून है, या संविधान के बाद का कानून ताकि अन्च्छेद 13(2) के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके। यहां तक कि हरियाणा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता, जो उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित ह्ए, इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों का समर्थन करने में सक्षम नहीं थे। जैसा कि लाडली प्रसाद जयसवाल के मामले (10 (स्प्रा) में इस न्यायालय की पिछली डिवीजन बेंच ने कहा था, वर्तमान धारा 6 के अन्रूप पूर्व-संविधान अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था। मूल धारा 6 एक पूरी तरह से अलग प्रकार का प्रावधान था। यहां तक कि 1951 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसे अधिनियम से हटा दिया गया था और 1957 के अधिनियम ने धारा 6 को लागू करने के अलावा व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं किया। यदि धारा 6 अमान्य होने के लिए पाई जाती है, संपूर्ण पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग (संशोधन) अधिनियम (1957 का 24) को निरस्त करना होगा। मेरी राय में उक्त 1957 अधिनियम और धारा 6 को मूल अधिनियम में संविधान के अन्च्छेद 13(3|)(ए) के अर्थ के भीतर एक कानून के रूप में शामिल किया गया। यह कानून (धारा 6) विवादित विभिन्न भागों में नहीं है जो अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन एक अविभाज्य पूर्ण प्रावधान से युक्त होते हैं। इसलिए, मुझे यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि यह संविधान के बाद का कानून है, जिसकी वैधता को अन्च्छेद 13 के खंड (2) के तहत किसी भी मौलिक अधिकार के साथ इसकी असंगतता, यदि कोई हो, के आधार पर आंका जाना चाहिए।

(14) दूसरा प्रश्न यह है कि क्या विवादित प्रावधान के लागू होने से पहले किसी पट्टे (धारा 5 के तहत दिया गया) को समय के साथ समाप्त होने से पहले निर्धारित करने के लिए कोई उपाय मौजूद था या नहीं। लाडली प्रसाद जायसवाल के मामले (द्वितीय) में डिवीजन बेंच का निर्णय, उस बिंद् पर न केवल हमारे लिए बाध्यकारी है, बल्कि हमें अपवादहीन प्रतीत होता है। अधिनियम में इसके तहत दिए गए पट्टे के निर्धारण के लिए कोई प्रावधान नहीं होने के कारण, पट्टे की किसी भी महत्वपूर्ण शर्त के उल्लंघन के मामले में कलेक्टर के पास एकमात्र उपाय यह था कि वह पंजाब किरायेदारी अधिनियम की धारा 77 के तहत एक राजस्व न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का सहारा ले। क्या तब कलेक्टर का वह अधिकार या उपाय धारा 6 द्वारा छीन लिया गया था? स्पष्ट रूप से धारा 6 के किसी भी भाग में पट्टों के निर्धारण के लिए पहले से मौजूद उपाय को स्पष्ट रूप से हटाने का भी इरादा नहीं है। क्या किरायेदारी अधिनियम की धारा 77 का सहारा लेकर उपाय को धारा 6 में निहित किसी भी चीज़ द्वारा निहित रूप से बाहर रखा गया है? उस प्रश्न का मेरा उत्तर भी नकारात्मक है। हमारे सामने श्री जगन नाथ कौशल द्वारा इस आशय की लंबी दलीलें रखी गईं कि धारा 6 में शब्द "किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना" किरायेदारी अधिनियम की धारा 77 के तहत उपाय का उल्लेख नहीं करते हैं, लेकिन अधिनियम की धारा 8 के तहत दंड के रूप में दोग्ना किराया वसूलने के कलेक्टर के अधिकार और धारा 10 के तहत इसके भ्गतान को लागू करने के उपाय का उल्लेख किया गया है। हम उस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं। गैर-अस्थिर उपवाक्य प्रतिबंधित प्रकृति का नहीं है। धारा 6 द्वारा कलेक्टर को पट्टा निर्धारित करने तथा भूमि पर कब्ज़ा लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। नए प्रावधान द्वारा जो उपाय पक्षपात रहित होने की मांग की गई है, वह न केवल अधिनियम के तहत किसी अन्य अधिकार के संबंध में है, बल्कि धारा 6 के अधिनियमन से पहले कलेक्टर के पास उपलब्ध सभी उपायों के संबंध में भी है, जिसमें राजस्व न्यायालय में बेदखली के लिए कार्यवाही का सहारा लेने का उपाय भी शामिल है। यदि महाधिवक्ता का तर्क सही होता, तो "सही" और "उपाय" शब्द "और" शब्द से ज्ड़े होते, न कि "या"। तब यह तर्क दिया जा सकता है कि बहिष्कार का उद्देश्य पट्टे का निर्धारण करने या भूमि पर कब्ज़ा करने के अधिकार के अलावा किसी अन्य अधिकार को संदर्भित करना है और प्रावधान में निर्दिष्ट उपाय भी ऐसे नागरिक के केवल अधिकार तक ही सीमित है। लेकिन दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द "या" से पता चलता है कि विधानमंडल स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता है कि कलेक्टर को नई शक्तियां प्रदान करने से कलेक्टर के पहले के अधिकारों या आक्षेपित प्रावधान के लागू होने से पहले पट्टेदारों के खिलाफ उसके पास उपलब्ध कोई भी पूर्व उपचार में से कोई भी छीन नहीं जाएगा। राज्य की ओर से श्री कौशल ने तर्क दिया कि धारा 6 में इस्तेमाल की गई अनिवार्य भाषा को आवश्यक रूप से बाहर रखा गया है और पट्टा निर्धारित करने या पट्टेदार से कब्जा लेने के लिए कलेक्टर के पास उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय को अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया गया है। श्री कौशल द्वारा "शक्ति होगी" अभिव्यक्ति पर बह्त जोर दिया गया था। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि "करेगा" शब्द का उपयोग दर्शाता है कि आक्षेपित प्रावधान कलेक्टर पर धारा 6 द्वारा प्रदान किए गए विशेष उपाय का सहारा लेने का कर्तव्य है। मुझे इससे सहमत होने में अपनी असमर्थता पर खेद है। धारा यह भी नहीं कहती कि कलेक्टर धारा के तहत कार्यवाही करेगा। यह केवल कलेक्टर को उस प्रावधान के तहत कार्रवाई करने का अधिकार देता है परन्त् वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है।धारा में कुछ भी कलेक्टर को इसके तहत कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं करता है, और प्रावधान का कोई भी हिस्सा मुझे सामान्य कानून के तहत किरायेदार के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कलेक्टर के पहले से मौजूद अधिकार और उपाय को छीनने वाला नहीं लगता है। यह तर्क दिया गया कि विवादित अधिनियम द्वारा किए गए विशेष प्रावधान ने पट्टेदारों की बेदखली के कानून से संबंधित सामान्य प्रावधान को जहां तक कि विवादित अधिनियम के अंतर्गत आने वाले पट्टों का संबंध

है, निरस्त कर दिया। इस तरह के तर्क को उत्तरी भारत कैटरर्स (प्राइवेट) लिमिटेड³ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के बह्मत के फैसले में जे. एम. शेलैट, जे. द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। उस मामले से विद्वान न्यायाधीश की भाषा उधार लेने पर, यह स्पष्ट है कि बाद वाला अधिनियम बिना किसी नकारात्मक के केवल सकारात्मक शब्दों में है, इसका निहितार्थ यह नहीं है कि यह पहले के कानून को निरस्त करता है। न्यायधीश शेलट की भाषा में फिर से कहें तो, "आक्षेपित अधिनियम न तो नकारात्मक शब्दों में है और न ही ऐसे किसी शब्दों में है जिसके परिणामस्वरूप एक जमींदार के रूप में सरकार के सामान्य कानून के तहत बेदखली के लिए म्कदमा करने के अधिकार को नकार दिया जाता है। न ही यह कहना संभव है कि बेदखली से संबंधित प्रावधानों के दो सेटों के सह-अस्तित्व से अस्विधा या बेत्कापन होता है, जिसके बारे में यह माना जाएगा कि विधायिका का इरादा नहीं था। इसके विपरीत आक्षेपित प्रावधान में प्रयुक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और व्यक्त भाषा से पता चलता है कि विधायिका का इरादा कलेक्टर को सामान्य कानून के तहत राजस्व न्यायालय के समक्ष म्कदमे का रास्ता बताने की त्लना में एक वैकल्पिक और त्वरित उपाय प्रदान करने का था। श्री कौशल द्वारा नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (3) के मामले और वर्तमान अपीलों के बीच अंतर इस आधार पर निकालने की मांग की गई थी कि कलेक्टर के पास सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले में कोई न कोई उपाय का सहारा लेने का विकल्प था, वर्तमान मामलों में कलेक्टर के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, इन परिस्थितियों में उनके पास कोई आधार नहीं है। इसलिए, हम मानते हैं कि किरायेदारी अधिनियम की धारा 77 के तहत एक किरायेदार को बेदखल करने के पहले से मौजूद उपाय को कलेक्टर को धारा 6 के तहत शक्ति प्रदान करके स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया था, "बिना पट्टेदारों के खिलाफ उपलब्ध उपाय के पूर्वाग्रह के"। वैकल्पिक रूप से, भले ही प्रश्न में वाक्यांश को किरायेदारी अधिनियम की धारा 77 के तहत उपाय को संदर्भित करने के लिए नहीं माना जाता है, फिर जिस दृष्टिकोण से मैं चर्चा कर रहा हूं, उस अनुभाग को समझने के उद्देश्य से, हमें शब्द "बिना किसी अन्य अधिकार या उसके विरुद्ध उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के।" का विचार छोड़ना होगा। यदि अन्भाग में उन शब्दों को नहीं पढ़ा जाता है, तो अन्भाग में अभी भी कुछ भी नहीं बचा है जिससे पट्टेदार के खिलाफ पहले से मौजूद उपाय के किसी भी बहिष्कार का अन्मान लगाया जा सके। प्रावधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पता चलता है कि इसे लाडली प्रसाद जयसवाल के मामले (1) में डिवीजन बेंच के फैसले के मद्देनजर लीज-डीड के खंड 11 के संदर्भ में अधिनियमित किया गया था, और इसके बाद हरियाणा अध्यादेश और हरियाणा संशोधन अधिनियम की घोषणा से पता चलता है कि विधायिका ने स्वयं कलेक्टर के लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपचारों को बाहर करने की आवश्यकता महसूस की है, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि विवादित प्रावधान में केवल एक अन्मेय उपाय प्रदान किया गया है, न कि कोई विशेष उपाय। इसलिए, दोनों में से किसी भी कोण से, धारा का अर्थ लगाया जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आक्षेपित प्रावधान के अधिनियमन के बाद, कलेक्टर के पास नव प्रदत्त शक्तियों में से किसी एक का सहारा लेने का विवेक था या राजस्व न्यायालय में पट्टेदार के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए उसके पिछले अधिकार के लिए।

(15) विद्वान महाधिवक्ता द्वारा कुछ हद तक आधे-अध्रे तर्क को आगे बढ़ाया गया था ताकि सुझाव दिया जा सके कि धारा 6 के तहत उपाय किया जा सके। अधिनियम किसी भी तरह से पंजाब किरायेदारी अधिनियम की धारा 77 के तहत राजस्व न्यायालय में सामान्य कार्यवाही से अधिक कठोर नहीं है। इस समर्पण में कोई भी बल नहीं है। एक मकान मालिक द्वारा एक किरायेदार को बेदखल करने का मुकदमा धारा 77 की उप-धारा (3) के खंड

³³ A.I.R 1967 SC 1581

(2i) के उप-खंड (ई) (दूसरे समूह के तहत) में विशेष रूप से उल्लिखित है। एक निश्चित अविध के लिए किरायेदार को बेदखल करने के आधार उस अधिनियम की धारा 40 में गिनाए गए हैं। उस धारा के खंड (1) में कहा गया है कि एक मकान मालिक किसी भी आधार पर बेदखली का दावा कर सकता है जो अन्बंध के तहत बेदखली को उचित ठहराएगा। धारा 40 के प्रावधान धारा 42 के अधीन हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी किरायेदार को डिक्री के निष्पादन के इलावा बेदखल नहीं किया जाएगा, जब उसकी किरायेदारी के संबंध में उसके विरुद्ध किराए के बकाया के लिए डिक्री की गई हो "और वह असंत्ष्ट है।" धारा 47 मई के पहले दिन और जून के 15वें दिन के अलावा किसी भी समय किरायेदारी अधिनियम के तहत बेदखली के आदेश के निष्पादन पर रोक लगाती है, जब तक कि बेदखली के आदेश में अन्यथा प्रावधान न हो। फिर धारा 48 स्पष्ट रूप से एक राजस्व न्यायालय को किराए का भुगतान न करने पर बेदखली के दावे के मामले में ज़ब्ती के खिलाफ राहत देने के लिए अधिकृत करती है। निष्कासन की सूचना की तामील का प्रश्न सामान्य निष्कासन कार्यवाही के दौरान भी उठता है। अधिनियम की धारा 6 में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। हमारे सामने आए मामलों से पता चलता है कि प्रावधान की शाब्दिक संरचना के अन्सार, बीस साल के लिए एक पट्टा रातोंरात निर्धारित किया जा सकता है, केवल पिछली शाम को पट्टेदार को एक नोटिस भेजकर और उसकी समाप्ति का आदेश पारित करके। अगली स्बह पट्टे पर दें, भले ही उसने किराए का बकाया नकद भ्गतान करने की पेशकश की हो। इस और अन्य विशिष्ट विशेषताओं के सामने, हमारी राय में, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि विवादित प्रावधान के तहत विशेष उपाय किरायेदारी की धारा 77 के तहत सामान्य उपाय से अधिक कठोर नहीं है। विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्त्त किया कि अधिनियम के तहत उपाय कठोर नहीं है क्योंकि (i) पट्टेदार के पास उस प्रक्रिया के तहत स्नवाई का, और अपना साक्ष्य प्रस्त्त करने का पूरा अवसर है, (ii) पट्टेदार को कलेक्टर के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, वह वित्तीय आय्क्त के पास प्नरीक्षण के लिए जा सकता है और फिर एक रिट याचिका में उच्च न्यायालय में जा सकता है, और, इसलिए, एक पट्टेदार अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्यवाही का सामना करने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे कानूनों के समान संरक्षण से वंचित कर दिया गया है, केवल इसलिए कि कलेक्टर के पास अधिनियम के तहत राजस्व न्यायालय के समक्ष म्कदमे के माध्यम से उसके खिलाफ कार्यवाही करने का विकल्प है। आगे यह तर्क दिया गया कि पट्टेदार को कलेक्टर को यह निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि पट्टे की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में उसे दो उपलब्ध प्रक्रियाओं में से किसका पालन करना चाहिए। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि ये सटीक तर्क हैं जो उत्तरी भारत में स्वयं और हिदायत्ल्ला, जे की ओर से विदवान न्यायाधीश दवारा व्यक्त अल्पसंख्यक दृष्टिकोण के दौरान बाचावत, जे. को अपील करते हैं। कैटरर्स (प्राइवेट) लिमिटेड और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (3), जिसके आधार पर विद्वान न्यायाधीश उस मामले में व्यक्त बह्मत के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। इसलिए, इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्दन इंडिया कैटरर्स (प्राइवेट) लिमिटेड(3) के मामले में इन्हें अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(16) एक बार जब यह आयोजित किया जाता है, जैसा कि हमने पाया है कि विवादित प्रावधान संविधान के बाद का कानून है और कलेक्टर को यह निर्णय लेने के मामले में पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करता है कि दोनों वैकल्पिक उपायों में से कौन सा उपाय अधिक कठोर है, वह किसी विशेष मामले में किरायेदार को बेदखल कर सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य ने कई मामलों में यह निष्कर्ष निकाला है कि ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 13 के तहत शून्य है क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रभावित है। अधिनियम के किसी भी प्रावधान और

उसके तहत बनाए गए नियमों में ऐसे मामलों का संकेत दिया गया है जिनमें कलेक्टर एक या दूसरे उपाय का चयन कर सकता है। कुछ समय के लिए संशोधित अध्यादेश और संशोधन अधिनियम को नजरअंदाज करते हुए, हमें पहले यह तय करना होगा कि क्या अधिनियम की धारा 6, जब 1957 में अधिनियमित हुई थी, असंवैधानिक थी या नहीं। नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (3) के मामले में, यह माना गया कि यह निर्णय लेना की यह कलेक्टर की पसंद है कि किन मामलों में उसे सरकारी परिसर पर अनिधकृत कब्जेदार को बेदखल करने के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और किन मामलों में उसे अतिचारी से कब्ज़ा लेने के लिए सिविल सूट की सामान्य प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान द्वारा निर्देशित नहीं किया गया है और पंजाब सार्वजिनक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वस्ली) अधिनियम (1959 का 31) अधिनियम की धारा 5 के भेदभावपूर्ण था और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। उनके आधिपत्य ने देखा कि भेदभाव हर उस मामले में होगा जहां दो उपलब्ध प्रक्रियाएं हैं, एक दूसरे की तुलना में संबंधित पक्ष के लिए अधिक कठोर या प्रतिकृल है, जिसे प्राधिकारी की मनमानी इच्छा से लागू किया जा सकता है। उस संबंध में यह माना गया था: -

"यदि देश का सामान्य कानून और विशेष कानून दो अलग और वैकल्पिक प्रक्रियाएं प्रदान करते हैं, और एक दूसरे की तुलना में अधिक पूर्वाग्रहपूर्ण है, तो यदि परिणाम प्राधिकारी की इच्छा पर छोड़ दिया जाए तो भेदभाव अवश्य होगा और कुछ के खिलाफ अधिक पूर्वाग्रहपूर्ण होगा और बाकी के खिलाफ नहीं। जिसके विरुद्ध कठोर प्रक्रिया की जाती है यह शिकायत करने के लिए बाध्य है कि कठोर प्रक्रिया उसके खिलाफ क्यों अपनाई जाती है और दूसरों के खिलाफ नहीं, भले ही वे अन्य भी इसी तरह की परिस्थिति वाले हों।

आगे यह निर्धारित किया गया

इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 5 मुकदमे के माध्यम से उपचार के अलावा एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करती है और सरकार को दो वैकल्पिक उपचार प्रदान करती है और इसे सरकार के अनियंत्रित विवेक पर छोड़ देती है। कलेक्टर को धारा 5 के तहत अधिक कठोर प्रक्रिया के आवेदन के लिए सार्वजनिक संपितयों और पिरसरों पर कब्जा करने वालों में से कुछ को चुनने और चुनने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, उस धारा ने खुद को खुला छोड़ दिया है भेदभाव के आरोप और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के लिए। इस दृष्टि से धारा 5 को शून्य घोषित किया जाना चाहिए।"

इस संबंध में बुनियादी कानून सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा श्री राम कृष्ण डालिमया बनाम आर. तेंडोलकर और अन्य⁵, में निर्धारित किया गया था, जिसमें यह माना गया कि जहां एक क़ानून अपने प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से व्यक्तियों का कोई वर्गीकरण नहीं करता है, बल्कि उन व्यक्तियों का चयन और वर्गीकरण जिन पर इसके प्रावधान लागू होने हैं सरकार के विवेक पर छोड़ देता है, और यदि ऐसा क़ानून चयन या वर्गीकरण के मामले में सरकार द्वारा विवेक के प्रयोग के मार्गदर्शन के लिए कोई सिद्धांत या नीति निर्धारित नहीं करता है, ऐसे क़ानून को इस आधार पर ख़त्म किया जाना चाहिए कि क़ानून सरकार को मनमानी और अनियंत्रित शिक्त के

⁴ A.I.R 1952 SC 75

⁵ A.I.R 1958 SC 538

प्रत्यायोजन का प्रावधान करता है ताकि वह व्यक्तियों के बीच समान रूप से भेदभाव करने में सक्षम हो सके, और यह कि, ऐसे मामले में भेदभाव क़ानून में ही अंतर्निहित है।

(17) पट्टेदारों के वकील ने इसके बाद राम गोपाल गुप्ता बनाम सहायक आवास आयुक्त एवं अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश औद्योगिक आवास अिधिनयम (यू.पी.) 1955 के अिधिनयम संख्या 23) की धारा 21(1) पर उन्हीं आधारों पर सवाल उठाया गया था, जिन पर उत्तरी भारत कैटरर्स (प्राइवेट), लिमिटेड (3) (सुप्रा) के मामले में पंजाब अिधिनयम की धारा 5 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उस मामले में यह माना गया कि समानता का संवैधानिक अिधकार महत्वपूर्ण अिधकारों की रक्षा करने वाले प्रक्रियात्मक मामलों तक भी फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में आवास आयुक्त के पास किसी आवंटी को बेदखल करने के दो रास्ते उपलब्ध थे। वह बेदखली के लिए सिविल मुकदमा दायर कर सकता है या यू.पी. की धारा 21 में निर्धारित सारांश प्रक्रिया का पालन करके आवंटी को स्वयं बेदखल कर सकता है। यह माना गया कि अिधिनयम ने आवास आयुक्त को उन मामलों के बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया, जिनमें उन्हें सारांश प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जो कि आवंटी के हिष्टकोण से एक सिविल मुकदमे की तुलना में अिधक कठोर था, और वह इसलिए, धारा 21 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, और शून्य थी क्योंकि यह आवंटियों के बीच भेदभाव की अनुमित देती थी।

(18) इस विषय पर उद्धृत अंतिम मामला दिल्ली उच्च न्यायालय (शिमला में हिमाचल बेंच) की डिवीजन बेंच का निर्णय था नालागढ़ के राजा साहिब बनाम पतमजब राज्य और अन्य। उत्तरी भारत कैटरर्स (प्राइवेट), लिमिटेड (3) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए तर्क के आधार पर, यह माना गया कि पंजाब सार्वजिनक परिसर और (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम (1959 का 31) भूमि की धारा 7(2)) भी कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी का उल्लंघन था। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर प्राधिकारियों की संख्या बढ़ाना पूरी तरह से अनावश्यक है। इसलिए, मेरे द्वारा पहले से ही दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह मानूंगा कि अधिनियम की धारा 6 को 1957 में संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड (2) के उल्लंघन में अधिनियमित किया गया था, और इसलिए, वह संपूर्ण प्रावधान शून्य था।

(19) यह मुझे धारा 6 की संवैधानिकता से संबंधित अंतिम बिंदु पर ले जाता है जिस पर दोनों पक्षों ने काफी विस्तार से बहस की। जबिक अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि केशवन माधव मेनन बनाम बॉम्बे राज्य⁸, सगीर अहमद और अन्य बनाम राज्य यूपी और अन्य⁹ में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनजर, बेहराम खुर्शीद पेसिकाका बनाम बॉम्बे राज्य, ¹⁰ भिक्काजी नारायण धाकरास और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य¹¹, दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य¹², महेंद्र लाई जैनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य¹³,

⁶ A.I.R 1969SC 278.

⁷ A.J.R 1969 Delhi 194

⁸ A.I.R 1951 SC 128.

⁹ A.I.R 1954 SC 728.

¹⁰ A.I.R 1955 SC 123.

¹¹ A.I.R 1955 SC 781

¹² A.I.R 1959 SC 648

¹³ A.I.R 1963 SC 1019.

और नॉर्दर्न इंडिया सीटरर्स (प्राइवेट), लिमिटेड (3), (स्प्रा), और पी. एल. मेहरा, आदि बनाम डी. आर. खन्ना, आदि, 14 में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के मामले में धारा 6 का कोई भी संशोधन प्रावधान को मान्य नहीं कर सकता है क्योंकि कानून की नज़र में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है जिसे बाद में मान्य किया जा सके, यह राज्य की ओर से तर्क दिया गया था की प्रानी अवधारणा के अन्सार ग्रहण का सिद्धांत और स्थिर-जन्मे क़ानून के मामलों में अंतर है, यानी, एक ओर अन्च्छेद 13 का खंड (1) और दूसरी ओर खंड (2) द्वारा कवर किए गए मामलों के बीच सिद्धांत का अंतर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों मेसर्स देवी दास गोपाल कृष्णन, बनाम पंजाब राज्य और अन्य¹⁵, स्धींद्र तीर्थ, स्वामी और अन्य बनाम हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती आयुक्त, मैसूर और अन्य¹⁶ और मैसूर राज्य और अन्य बनाम वी. डी. अचैया चेट्टी, आदि।¹⁷ आदि के मामले में के बाद कोई क्षेत्र नहीं रह गया है। यह महत्वपूर्ण बिंदू है जिसके निर्णय पर विवादित प्रावधान की वैधता से संबंधित प्रश्न का उत्तर निर्भर करता है। अपीलकर्ताओं के अनुसार, हालांकि अन्च्छेद 13 के खंड (1) और (2) में आने वाले शब्द "शून्य" का मतलब एक ही हो सकता है, एक या दूसरे मामले में शून्यता का प्रभाव पूरी तरह से अलग है। केशवन माधव मेनन के मामले (8) में, बहमत दवारा यह माना गया कि जहां तक मौजूदा कानूनों का संबंध है, अनुच्छेद 13(1) में "शून्य" शब्द को उन्हें क़ानून प्स्तक से हटाने के लिए नहीं माना जा सकता है और ऐसे कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्च्छेद 13 को कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया है; और अमेरिकी नियम यह है कि यदि कोई क़ानून संविधान के प्रतिकृल है, तो वह क़ानून अपने जन्म से ही अमान्य है, मौजूदा कानून के अनुसार अर्जित दायित्वों या अर्जित अधिकारों से संबंधित मामलों पर इसका कोई अन्प्रयोग नहीं है। अपनी स्थापना के समय यह संवैधानिक था लेकिन संविधान के लागू होते ही यह शून्य हो गया। आगे यह माना गया कि यदि दूसरी ओर 26 जनवरी, 1950 के बाद कोई कानून बनाया गया था, जो संविधान के विरुद्ध था, तो भारत में भी उसी नियम का पालन करना होगा जैसा कि अमेरिका में अन्सरण किया गया था।

(20) सगीर अहमद के मामले में विचाराधीन कानून (19), (सुप्रा) संविधान के लागू होने के बाद पारित किया गया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसले एकमत था। यह उस अधिनियम की वैधता पर संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम का प्रभाव था जिस पर उस मामले में विचार किया गया था। यह माना गया कि बाद में आए संविधान के किसी भी संशोधन को पहले के कानून को मान्य करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, जिसे पारित होने पर असंवैधानिक माना जाना चाहिए। प्रोफ़ेसर कूली ने अपने कार्य 'संवैधानिक सीमाएँ' में टिप्पणी की है कि असंवैधानिकता के लिए शून्य क़ानून मृत है और इसे संवैधानिक आपित को दूर करके संविधान के बाद के संशोधन द्वारा सिक्रय नहीं किया जा सकता है, लेकिन पुनः अधिनियमित किया जाना चाहिए। जेएन बेहराम खुर्शीद पेसिकाका के मामला (10) में, मुख्य न्यायधीश महाजन, ने न्यायालय के केशवन माधव मेनन के मामले (8), (सुप्रा) में फैसले का जिक्र करने के बाद, इस प्रकार आयोजित किया है: -

"अधिकारों के निर्धारण के लिए और नागरिकों के दायित्वों को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए अनुभाग से शून्य घोषित किया जाना चाहिए, हालांकि यह कानून की किताब पर लिखा रह सकता है और एक अच्छा कानून हो सकता है जब कोई 26 जनवरी, 1950 से पहले के अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण के लिए प्रश्न उठता है, और

¹⁴ A.I.R 1971 Delhi 1.

¹⁵ A.I.R 1967 SC 1895.

¹⁶ I.L.R 1963 SC 966

¹⁷ A.I.R 1969 SC 477

उन व्यक्तियों के अधिकारों के निर्धारण के लिए भी, जिन्हें संविधान द्वारा मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार, इस स्थिति में, ऐसे संविधान की व्याख्या करने में अमेरिकी न्यायाधीशों द्वारा गढ़े गए 'अपेक्षाकृत शून्य' जैसे शब्दों को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है, जो समान भाषा में तैयार नहीं किया गया है और जिसके इस देश में परिचित निहितार्थ बिल्कुल नहीं हैं।

हम अपने विद्वान भाई वेंकटराम अय्यर द्वारा व्यक्त की गई राय का समर्थन करने में भी सक्षम नहीं हैं कि विधायी शक्ति की कमी के कारण असंवैधानिकता की घोषणा एक अलग स्तर पर है। मौलिक अधिकारों के हनन के कारण असंवैधानिकता की घोषणा की गई। हमारा मानना है कि यह सही प्रस्ताव नहीं है कि हमारे संविधान के भाग ॥ में संवैधानिक प्रावधान केवल विधायी शक्ति के प्रयोग पर रोक के रूप में कार्य करते हैं। यह स्वयंसिद्ध है कि जब राज्य की कानून बनाने की शक्ति एक लिखित मौलिक कानून द्वारा प्रतिबंधित होती है, तो मौलिक कानून के विरोध में बनाया गया कोई भी कानून विधायी प्राधिकार से अधिक होता है और इस प्रकार यह एक अशक्तता है। असंवैधानिकता की ये दोनों घोषणाएं स्वयं सता की जड़ तक जाती हैं और उनके बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। वे विधायी शक्ति की चाहत के दो पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुच्छेद 245 द्वारा प्रदत्त संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति और संविधान के 246वें भाग में संविधान के मौलिक अधिकार अध्याय को कम किया गया है। अनुच्छेद 13(2) और अनुच्छेद 245 और 246 के प्रावधानों का उल्लेख मात्र यह बताने के लिए पर्याप्त है कि संसद या राज्य विधानमंडल में संविधान के लागू होने के बाद संविधान के भाग ॥ के साथ टकराता हुआ कानून बनाने की कोई योग्यता नहीं है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन करता है और इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून, उल्लंघन की हद तक, शून्य होगा।"

अनुच्छेद 13(2) इन शब्दों में है: -

"राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या कम करता है और इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून, उल्लंघन की सीमा शून्य होगी।"

यह मौलिक कानून का एक स्पष्ट और स्पष्ट आदेश है जो राज्य को ऐसे किसी भी कानून को बनाने से रोकता है जो संविधान के भाग ॥। के साथ टकराव में आता है। इस प्रकार विभिन्न विधायिकाओं में विषयवार कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 245 और 246 द्वारा प्रदत्त अधिकार अनुच्छेद 13(2) में की गई घोषणा द्वारा योग्य है। उस शक्ति का प्रयोग केवल अनुच्छेद 13(2) में निहित निषेध के अधीन ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 13(2) के निर्माण पर कशाइयन माधव मेनन के मामले (8) में बहुमत और अल्पसंख्यक के बीच कोई मतभेद नहीं था। यह केवल अनुच्छेद 13(1) के निर्माण पर था, अंतर उत्पन्न हुआ क्योंकि यह महसूस किया गया कि वह अनुच्छेद उन कानूनों को पूर्वव्यापी रूप से अमान्य नहीं कर सकता है, जो जब बनाए गए थे, तब लागू संविधान के अनुसार संवैधानिक थे।"

(21) भीकाजी नारायण धाकरास और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (11) में, एस.आर. दास, ए.सी.जे., (न्यायालय के लिए बोलते हुए) ने माना था कि विवादित प्रावधान 1948 में अधिनियमित किया गया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने पर ग्रहण लग गया था और 18 जून 1951 को संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम पारित होने पर ग्रहण हटा दिया गया था। वह संविधान के अनुच्छेद 13(1) के तहत मामला था, न कि अनुच्छेद 13(2) के तहत, और इसलिए, हमें और हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है।

(22) अन्य मामलों से निपटने से पहले जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है, इस चरण में एम.पी.वी. सुंदरामियर कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य¹⁸ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उचित
प्रतीत होता है, जैसा महाधिवक्ता द्वारा उस फैसले के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों पर गहरा भरोसा जताया गया
था। हालाँकि, एक ओर विधायी क्षमता के बिना पारित क़ानून और दूसरी ओर जनवरी, 1950 के बाद पारित क़ानून
के बीच शून्यता की डिग्री में अनुमानित अंतर के बारे में वेरीकाताराम अय्यर, जे. का विचार, किसी के भी विपरीत
है। बेहरान खुर्शीद पेसिकाका के मामले (10) में मौलिक अधिकारों पर स्पष्ट रूप से असहमति व्यक्त की गई थी,
(स्प्रा), विदवान न्यायाधीश ने अपने फैसले के दौरान (ए.आई.आर. रिपोर्ट के पैराग्राफ 42) इस प्रकार देखा: -

"अब, किसी क़ानून की असंवैधानिकता के प्रभाव के प्रश्न पर विचार करते समय, यह याद रखना आवश्यक है कि कि असंवैधानिकता या तो उत्पन्न हो सकती है क्योंकि कानून किसी ऐसे मामले के संबंध में है जो विधानमंडल की सक्षमता के अंतर्गत नहीं है, या क्योंकि मामला इसकी क्षमता के भीतर है; इसके प्रावधान कुछ संवैधानिक प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं। एक संघीय संविधान में जहां विधायी शक्तियां विभिन्न निकायों के बीच वितरित की जाती हैं, एक विशेष कानून बनाने की विधायिका की क्षमता इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि क्या उस कानून का विषय संविधान अधिनियम द्वारा सौंपा गया है या नही। इस प्रकार, संविधान की सूची 1, अन्सूची VII में प्रविष्टि राज्य का कानून पूरी तरह से अक्षम और शून्य होगा। लेकिन कानून उसकी क्षमता के भीतर विषय पर हो सकता है, उदाहरण के लिए, सूची ॥ में एक प्रविष्टि, लेकिन यह पारित किए जाने वाले कानून के चरित्र पर संविधान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन कर सकता है, जैसे उदाहरण के लिए, संविधान के भाग ॥। में अधिनियमित सीमाएँ, यहां भी, विरोध की सीमा तक कानून शून्य होगा। इस प्रकार, किसी ऐसे विषय पर कानून जो विधायिका की क्षमता के भीतर नहीं है और एक कानून जो अपनी क्षमता में है, लेकिन संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करता है, दोनों को अदालत में समान माना जाता है, वे दोनों अप्रवर्तनीय हैं। लेकिन क्या इससे यह अनुसरण होता है कि दोनों कानून एक ही ग्णवत्ता और चरित्र के हैं, और सभी उद्देश्यों के लिए एक ही स्तर पर खड़े हैं? यह प्रश्न अमेरिकी न्यायालयों में अनेक निर्णयों में विचार का विषय रहा है, और प्राधिकरण की प्रधानता इस दृष्टिकोण के पक्ष में है कि जबकि किसी ऐसे मामले पर कानून बनाना जो विधायिका की क्षमता के अंतर्गत नहीं है एक निरर्थकता है, अपनी क्षमता के भीतर किसी विषय पर यदि एक कानून है लेकिन संवैधानिक निषेधों के विपरीत वह केवल अप्रवर्तनीय है। इस भेद की एक सामग्री है वर्तमान चर्चा पर असर। यदि कोई कानून विधायिका के क्षेत्र से बाहर किसी क्षेत्र पर है, तो यह श्रुआत से ही शून्य है और उसके बाद विधायिका में इस क्षेत्र का समापन, इस इस स्थिर पड़े कानून में नई जान नही भरेगा और इस विषय पर एक नया कानून बनाने की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि कानून विधायिका को सौंपे गए किसी मामले के संबंध में है तो स्वाभाविक है लेकिन इसके प्रावधान संवैधानिक प्रतिबंधों की अवहेलना करते हैं, हालांकि उन निषेधों के कारण कानून अप्रवर्तनीय होगा, जब एक बार उन्हें हटा दिया जाता है, तो कानून फिर से लागू किए बिना प्रभावी हो जाएगा।

किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला एम.पी.वी., सुंदररामियर कंपनी के मामले (18) में शामिल नहीं था, दूसरे यह उसी निर्णय के पैराग्राफ 48 की सामग्री से स्पष्ट है जो नीचे उद्धृत किया गया है कि विद्वान जज बेहराम खुवशीद पेसिकाका के मामले (10) में मूल बेंच के एक सदस्य के रूप में व्यक्त किए गए उनके पहले के विचार को पुनर्जीवित बिल्कुल नहीं करना चाहते थे।

-

¹⁸ A.I.R 1958 SC 468.

"प्रश्न का एक अन्य पहलू भी है जिसका संदर्भ दिया जाना चाहिए। बेहराम खुर्शीद पेसीकाका बनाम बॉम्बे राज्य (10) (स्प्रा) और भीकाजी नारायण ढाकरस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (11) (स्प्रा) में फैसले-दोनों संविधान के अन्च्छेद 13 के निर्माण पर आधारित हैं, जो अधिनियमित करता है कि कानून उस हद तक शून्य होंगे, जिस हद तक वे अन्च्छेद ॥। के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं। हम इन याचिकाओं में भाग ॥। के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन को लेकर नहीं बल्कि अन्च्छेद 286(2) के उल्लंघन को लेकर चिंतित हैं, और हमारे निर्णय का मृददा यह है कि उस प्रावधान के उल्लंघन-का प्रभाव क्या होगा। अनुच्छेद 286(2) यह प्रावधान नहीं करता है कि जो कानून इसका उल्लंघन करता है वह शून्य है, और जब उस प्रावधान के संदर्भ पर ध्यान दिया जाता है, तो यह निष्कर्ष निकालना म्श्किल होता है कि यह उस प्रावधान kev3ल्लंघन का परिणाम है। अन्च्छेद 372(1) संविधान के निर्माण की तिथि पर मौजूद सभी कानूनों के लागू रहने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 286(2) अधिनियमित करता है कि राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा 31 मार्च, 1951 तक बिक्री कर कानूनों का संचालन जारी रख सकते हैं और अनुच्छेद 288(2) स्वयं अधिनियमित करता है कि किसी राज्य का कोई भी कानून कर लागू नहीं करेगा। जिस संदर्भ में वे घटित होते हैं, इन शब्दों का वास्तविक अर्थ यह है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, कि किसी राज्य का कोई भी कानून कर लगाने के लिए प्रभावी नहीं होगा; वह कहने का तात्पर्य यह है कि, कानून को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक वह ऐसा कर लगाता है। चाहे हम किसी क़ानून की असंवैधानिकता या अनुच्छेद 286(2), की भाषा पर प्रभाव के बारे में व्यापक सिद्धांत के प्रश्न पर विचार करते हैं, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि मद्रास अधिनियम की धारा 22 और अन्य कानूनों में संबंधित प्रावधानों को उनके प्रतिकृत होने के कारण अशक्त और अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। अन्च्छेद 286(2) और उस अन्च्छेद के तहत रोक अब हटा दी गई है, उन्हें दिए जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। सुंदरा-रेमियर कंपनी (18) (सुप्रा) उपरोक्त उद्धृत टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हमें इन अपीलों में शामिल मुख्य मृद्दे को तय करने में मदद नहीं कर सकती यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि किसी में भी उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णयों का, जिसका संदर्भ वर्तमान में दिया जा रहा है, एम.पी.वी. वेरिका-तारामा अय्यर, के मामले में न्यायधीश सिंदारारामियर के निर्णय को स्पष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, अब विदवान महाधिवक्ता द्वारा जिस बात पर विवाद करने की मांग की गई है।

(23) दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य,(12) में न्यायालय संविधान (चौथे संशोधन) अधिनियम, 1955 के उस क़ानून पर प्रभाव से चिंतित था जो संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत शून्य था। बहुमत का दृष्टिकोण न्यायधिश के. सुब्बा राव, के फैसले में व्यक्त किया गया था, और असहमित का फैसला बहुमत की ओर से तैयार किए गए फैसले को पढ़ने के बाद मुख्य न्यायधीश एस. आर. दास, द्वारा लिखा गया था। अनुच्छेद 13 के खंड (1) और खंड (2) द्वारा कवर किए गए मामलों के बीच का अंतर बहुमत के निर्णय में निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित किया गया था:— "दोनों खंडों के बीच स्पष्ट अंतर है, खंड (1) के तहत, एक संविधान-पूर्व कानून भाग ॥। के प्रावधानों के साथ इसकी मौजूदा असंगतता को छोड़कर अस्तित्व में है; जबिक, संविधान के बाद का कोई भी कानून भाग ॥। के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नहीं बनाया जा सकता है, और इसलिए कानून, उस हद तक, हालांकि बनाया गया है, अपनी स्थापना से ही अमान्य है। यदि इस स्पष्ट भेद को ध्यान में रखा जाए तो उठे हुए अधिकांश बादल दूर हो जाते हैं। जब अनुच्छेद 13 का खंड (2) स्पष्ट और सुस्पष्ट शब्दों में कहता है कि कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो प्रदत्त अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो भाग ॥। के अनुसार, राज्य को यह तर्क देने में कोई फायदा नहीं होगा कि यह खंड कानून बनाने की शक्तित में कटौती नहीं करता है या यह केवल रोक लगाता है, निषेध नहीं। किसी राज्य के खिलाफ कुछ कानून बनाने के संवैधानिक निषेध को सादृश्य

द्वारा या अन्य संविधानों के प्रावधानों पर निर्णयों से प्रेरणा लेकर कम नहीं किया जा सकता है; न ही हम इस तर्क की सराहना कर सकते हैं कि अनुच्छेद 13(2) की दूसरी पंक्ति में "कोई भी कानून" शब्द ऐसे निषेध के तहत बनाए गए कानून के अस्तित्व को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई कानून तभी अस्तित्व में आ सकता है जब उसे बनाया जाए और इसलिए उस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून यह मान लेता है कि बनाया गया कानून अमान्य नहीं है। यह तर्क सूक्ष्म हो सकता है लेकिन ठोस नहीं है। उस खंड में "कोई भी कानून" शब्द का अर्थ केवल निषेध के बावजूद, तथ्यात्मक रूप से पारित या बनाया गया अधिनियम हो सकता है। ऐसे उल्लंघन का परिणाम उस खंड में बताया गया है। खंड का स्पष्ट पाठ बिना किसी उचित संदेह के इंगित करता है कि निषेध मामले की जड़ तक जाता है और कानून बनाने की राज्य की शक्ति को सीमित करता है; निषेध के बावजूद बनाया गया कानून एक मृत कानून है।"

यह जानना दिलचस्प है की मुख्य न्यायिधश दस ने ऊपर दिए गए निर्णय से खुद को जोड़ने से निम्नलिखित शब्द में साफ इंकार कर दिया:-

"हालाँकि, हमारे विद्वान भाई ने इन सवालों पर चर्चा शुरू करना उचित समझा है, हम निष्कर्ष में स्वीकार करने या सहमत होने के रूप में समझे जाने से खुद को बचाना चाहते हैं कि ग्रहण का सिद्धांत संविधान के बाद के किसी भी कानून पर लागू नहीं हो सकता। संविधान के बाद का कोई कानून या तो केवल नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है या किसी व्यक्ति, नागरिक या गैर-नागरिक को प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। पहले मामले में, कानून नागरिकों द्वारा उस मौलिक अधिकार के प्रयोग के रास्ते में नहीं खड़ा होगा, इसलिए, नागरिकों के अधिकारों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन गैर-नागरिकों के संबंध में यह प्रभावी होगा। ऐसे मामले में मौलिक अधिकार, नागरिकों के लिए, कानून पर एक छाया डालेगा जो फिर भी गैर-नागरिकों पर बाध्यकारी एक वैध कानून के रूप में क़ानून की किताब पर होगा और यदि वह छाया एक संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, कानून पुन: अधिनियमित किए बिना भी तुरंत नागरिकों पर लागू होगा।"

फिर अंतिम, सुप्रीम कोर्ट का महेंद्र लाल जैनी (13) (सुप्रा) में फैसला आता है। यह बहुत स्पष्ट शब्दों में माना गया था कि ग्रहण का सिद्धांत केवल पूर्व-संवैधानिक कानूनों पर लागू होगा जो अनुच्छेद 13 (1) द्वारा शासित होते हैं और संविधान के बाद के कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, पर लागू नहीं होंगे, जो अनुच्छेद 13(2) द्वारा शासित होते हैं। यू.पी. भूमि स्वामित्व (हस्तांतरण का विनियमन) अधिनियम (1952 का 15) के विवादित प्रावधान की अमान्यता को राज्य की ओर से 1956 में किए गए एक संशोधन द्वारा हटाने की मांग की गई थी। राज्य के तर्क को के.एन. वेनेहु ने खारिज कर दिया था जिन्होंने उन मामलों में न्यायालय का निर्णय तैयार किया, जिनका संदर्भ मेरे द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। "संविधान-पूर्व और संविधान-पश्चात" के बीच का अंतर अनुच्छेद 13 के तहत उनके शून्य होने के मामले में अनुमापन कानूनों को निम्नलिखित परिच्छेदों में स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है: -

"यदि, इसिलए, संविधान निर्माताओं का इरादा है कि अनुच्छेद 13 (1) और (2) कानूनों को केवल तभी तक प्रभावित करेगा जब तक असंगतता जारी रहेगी या उल्लंघन जारी रहेगा, वे इसके लिए विशेष रूप से प्रावधान कर सकते थे। उपवाक्य के सरल निर्माण में, समय के तत्व को बाहर रखा जाना चाहिए। इसिलए हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि शब्द "इस हद तक" समय के किसी भी विचार को आयात करते हैं। हमारी राय में, वे

केवल इस विचार को आयात करते हैं कि कानून पूरी तरह से या आंशिक रूप से अमान्य हो सकता है और केवल वहीं भाग शून्य होंगे जो भाग III के साथ असंगत हैं या भाग III का उल्लंघन करते हैं और नहीं।"

"सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए "शून्य" शब्द का अर्थ अनुच्छेद 13(1) में वही है जो अनुच्छेद 13(2) में है, अर्थात्, जो कानून शून्य थे वे अप्रभावी थे और निरर्थक और किसी भी कानूनी बल या बाध्यकारी प्रभाव से रहित। लेकिन पूर्व- संवैधानिक कानून अनुच्छेद' 13(1) के आवेदन के कारण अपनी स्थापना से शून्य नहीं हो सकते। अनुच्छेद 13(2) में "शून्य" शब्द का अर्थ भी वही है, अर्थात, कानून, अप्रभावी और निरर्थक हैं और कोई कानूनी बल या बाध्यकारी प्रभाव से रहित हैं, यदि वे अनुच्छेद 13(2) का उल्लंघन करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है इस मामले में संविधान-पूर्व और संविधान-पश्चात कानूनों के बीच। संविधान-पूर्व कानून की शून्यता शुरुआत से ही नहीं है। जब संविधान लागू हुआ तो ऐसी शून्यता कायम हो गई; और इसलिए वे कुछ समय के लिए और कुछ उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में थे और संचालित थे; संविधान के बाद के कानूनों की शून्यता उनकी शुरुआत से ही है और इसलिए, वे किसी भी उद्देश्य के लिए अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। एक मामले में शून्यता और दूसरे में शून्यता के बीच यह अंतर इस परिस्थिति से उत्पन्न होता है कि एक संविधान-पूर्व कानून है और दूसरा संविधान-पश्चात कानून है; लेकिन "शून्य" शब्द का अर्थ किसी भी मामले में समान है, अर्थात्, कानून अप्रभावी और निरर्थक है और किसी भी कानूनी बल या बाध्यकारी प्रभाव से रहित है।

बेहराम खुर्शल्ड पेसिकाका के मामले में (10) (सुप्रा) में मुख्य न्यायधीश माहाजन, का विचार जिसमे वह वेंकटराम अय्यर के पहले के दृष्टिकोण जो महेंद्र लाल जैनी के मामले (13) (सुप्रा) में दर्शाया गया है, को अस्वीकार करते हुए, स्पष्ट रूप से बरकरार रखा गया था, और यह दोहराया गया था कि यहां तक कि एक कथित संविधान को हटाने से अमान्यता एक मृत कानून में जीवन नहीं डाल सकती है जो अनुच्छेद 13 (2) के तहत शून्य था।

(24) तब विद्वान महाधिवक्ता-जनरल द्वारा एक प्रयास किया गया था ऊपर बताए गए मामलों जैसे मामलों के बीच अंतर, जिनमें अन्च्छेद 13(2) का उल्लंघन करने वाले संविधान के बाद के अधिनियम में अमान्यता को संविधान के संशोधन द्वारा ही हटाने की मांग की गई थी, और पहले जैसे मामलों के बीच अंतर हमारे यहां, जहां संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन विवादित प्रावधान में संशोधन करके, राज्य विधानमंडल ने दोष को दूर कर दिया है। जहां तक हमारे सामने मौजूद मृद्दे का संबंध है, हम इन दो मामलों के बीच कोई प्रासंगिक अंतर देखने में असमर्थ हैं। सबसे पहले, हमारे मामले में लागू कानून धारा 6 है या उस मामले के लिए 1957 का संशोधन अधिनियम है। बाद के हरियाणा अध्यादेश और हरियाणा अधिनियम दवारा न तो 1957 के संशोधित अधिनियम में हस्तक्षेप किया गया है और न ही धारा 6 में किसी भी तरह से संशोधन किया गया है। 1957 की धारा 6 के अधिनियमन के समय उपलब्ध वैकल्पिक उपाय, जिसने 'आक्षेपित' कानून को अमान्य कर दिया था, को हरियाणा संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा, 1 जनवरी 1968 से प्रभावी, रास्ते से हटा दिया गया है। राज्य तभी सफल हो सकता है जब वह सफलतापूर्वक यह तर्क दे सके कि हमारे उद्देश्य के लिए धारा 6 को 1 जनवरी, 1968 को क़ानून की किताब में माना जाना चाहिए। पहले ही संदर्भित मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का चेहरे पर, हमें अवश्य ही ऐसा मानना चाहिए हैं कि कानून की नजर में धारा 6, मृत प्रावधान, राज्य की क़ानूनी प्स्तक पर नहीं था, और हालांकि धारा 14-ए के अधिनियमन में कुछ भी गलत नहीं है, इसका केवल यह प्रभाव होगा कि 1 जनवरी, 1968 से पहले कलेक्टर के पास जो एकमात्र वैध उपाय उपलब्ध था, वह यह था पंजाब किरायेदारी अधिनियम के तहत बेदखली के लिए सामान्य कार्यवाही का सहारा लेना, जो उस तिथि से उसे उपलब्ध

नहीं होगा। निर्णय जिनमे सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम एक निर्णय शामिल है उन मामलों के संबंध में कमी में नहीं हैं, जहां संविधान के बाद के अधिनियम पर कथित ग्रहण को हटाने का दावा करने के लिए राज्य की ओर से अधिनियम के बाद के संशोधन द्वारा ही इसी तरह का प्रयास किया गया था। इन मामलों में सबसे महत्वपूर्ण बी. शमा राव बनाम केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक फैसला है। उस मामले में निर्णय की मांग करने वाला प्रश्न यह था कि क्या पांडिचेरी जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम (1965 का 10) जिसे मृत घोषित कर दिया गया था, उसे कानून में पुनर्जीवित किया गया था और बाद के पूर्वव्यापी संशोधन द्वारा सफलतापूर्वक मान्य किया गया था। न्यायधीश जे. एम. शेलाट, जिन्होंने बहुमत का निर्णय तैयार किया, ने निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया: -

"लेकिन सवाल यह है कि क्या संशोधन अधिनियम को मूल अधिनियम का एक स्वतंत्र प्न: अधिनियमन कहा जा सकता है और क्या पांडिचेरी विधायिका ने इस अधिनियम द्वारा मद्रास अधिनियम का विस्तार किया है? यदि विधायिका का ऐसा करने का इरादा होता तो या तो मूल अधिनियम को निरस्त कर देती या फिर इस आधार पर इसे निरस्त किए बिना कि यह निरर्थक था, मद्रास अधिनियम का विस्तार करते हुए एक स्वतंत्र कानून के रूप में संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल, 1966 से पूर्वव्यापी रूप से कार्य करके लागू कर देती। संशोधन अधिनियम, जैसा कि इसके लंबे शीर्षक से स्पष्ट है, मूल अधिनियम में संशोधन करने के लिए पारित किया गया था। यह केवल इस आधार पर हो सकता है कि यह एक वैध अधिनियम था और अभी भी कानून की किताब में है। धारा 2 के तहत विधायिका का उद्देश्य मूल अधिनियम की धारा 1 (2) में संशोधन करना है, जिसके स्थान पर "यह 1 अप्रैल, 1966 को लागू होगा" शब्दों को प्रतिस्थापित करना है और शब्द "यह उस तारीख से लागू होगा जिसे सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर सकती है।" एकमात्र परिणाम यह है कि उक्त अधिसूचना के तहत मूल अधिनियम को लागू करने के बजाय, इसे 1 अप्रैल, 1966 को लागू माना जाता है। यह एक मान्य प्रावधान द्वारा किया जाता है यदि नया उपवाक्य श्रू से ही था जब अधिनियम पारित किया गया। ऐसा होने पर, यह ऐसा है मानो पांडिचेरी विधायिका ने मद्रास अधिनियम को ऐसे संशोधनों के साथ बढ़ा दिया था, जो उस अधिनियम में 1 अप्रैल, 1966 तक किए जा सकते थे। चूंकि संशोधन अधिनियम इस प्रकार था इस आधार पर पारित किया गया कि एक वैध अधिनियम अर्थात् उक्त प्रधान अधिनियम अस्तित्व में था। यह कल्पना करना असंभव है कि यह मद्रास अधिनियम के तहत विस्तार करने वाला एक स्वतंत्र कानून था या होने का इरादा था। संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम का एक संशोधन था और इसका इरादा था और यह संशोधन अधिनियम की भाषा को एक टूटने के बिंदु तक खींच देगा ताकि इसे एक स्वतंत्र कानून के रूप में समझा जा सके जिससे मद्रास अधिनियम को 1 अप्रैल, 1966 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था। ऐसा होने पर, और इस विचार पर कि प्रधान अधिनियम अभी भी पैदा हुआ था, जो शुरू में शून्य था उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास निराश था और ऐसे अधिनियम की कोई प्रभावकारिता नहीं हो सकती थी। अंतिम वाक्य बी. शमा राव के मामले (19) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से उपरोक्त उद्धृत अंश से, मेरे मन में कोई संदेह नहीं रह गया है कि 1967 तक, उनका आधिपत्य दृढ़ता से इस विचार पर रहा है कि यदि मुख्य अधिनियम अभी भी पैदा हुआ था, जो शुरू से ही अमान्य था उसे प्नर्जीवित करने के किसी भी प्रयास की कोई प्रभावशीलता नहीं होगी। धारा 6, जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रमुख अधिनियम है, को 1957 में इसके अधिनियमन के समय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत पूरी तरह से

¹⁹ A.I.R 1967 SC 1480.

शून्य माना गया है। 1 जनवरी, 1968 को राज्य की क़ानूनी किताब में इस प्रावधान को काल्पनिक रूप से गैर-मौजूद माना जाना चाहिए। यदि विवादित प्रावधान 1 जनवरी, 1968 को अधिनियमित किया गया होता, तो चीज़ें अलग हो सकती थीं। या उसके बाद. किसी भी स्थिति में, यदि हरियाणा संशोधन अधिनियम 1971 के लागू होने के बाद धारा 6 जैसा प्रावधान लागू किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से घृणित भेदभाव के दोष से ग्रस्त नहीं होगा।

(25) सरकारी परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1950 को ब्रिगेड कमांडर, मेरठ सब-एरिया और अन्य बनाम गंगा प्रसाद और अन्य²⁰ के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष च्नौती दी गई थी, इस आधार पर कि यह अधिकृत है संपदा अधिकारी ने सार्वजनिक परिसर के एक अनधिकृत कब्जेदार के खिलाफ बेदखली का आदेश दिया, जिसमें उसे उन सभी व्यक्तियों दवारा खाली करने का निर्देश दिया गया, जो उस पर कब्जा कर सकते थे, और इसे उल्लंघनकारी अन्च्छेद के रूप में शून्य माना गया था। संविधान ने सार्वजनिक परिसरों के अनाधिकृत कब्जेदारों के बीच इस आधार पर भेदभाव किया कि अधिनियम सामान्य कानून के समानांतर एक प्रक्रिया प्रदान करता है, लेकिन बहत अधिक कठिन है, और अधिनियम ने इसे अनिर्देशित विवेक पर छोड़ दिया है। संपदा अधिकारी किसी विशेष अनाधिकृत कब्जेदार के खिलाफ या तो उस अधिनियम के तहत या सामान्य कानून के तहत कार्रवाई करेगा। सार्वजिनक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1950 को केंद्रीय विधानमंडल दवारा 1958 के अधिनियम 32 दवारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1963 में उक्त अधिनियम में पेश किए गए एक छोटे से संशोधन के बाद (जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है), 1958 के अधिनियम 32 को फिर से सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) संशोधन- अध्यादेश, 1968, द्वारा संशोधित किया गया जो अध्यादेश 17 जून, 1968 को प्रख्यापित किया गया था। 1958 के अधिनियम 32 में 10-ई, सार्वजनिक परिसरों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति के निष्कासन के संबंध में किसी भी म्कदमे या कार्यवाही पर विचार करने के लिए सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाता है। बनवारी लाई टंडन बनाम सैन्य संपदा अधिकारी²¹ में अधिनियम 32, 1958 की धारा 5 की शक्तियों के विरुद्ध च्नौती का सामना करने के लिए राज्य की ओर से तर्क दिया कि 1968 के संशोधन अध्यादेश द्वारा बाद में वैकल्पिक उपाय को हटा दिया गया था, मूल धारा 5 में मौजूद दोष को हटा दिया गया था। यह पाए जाने के बाद कि नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में स्प्रीम कोर्ट के अधिकार पर मुख्य प्रावधान (1958 के केंद्रीय अधिनियम 32 की धारा 5) संविधान के अन्च्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण शून्य था, और राजेंद्र प्रसाद सिंह बनाम भारत संघ22 में कलकता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर, क्योंकि इसने सरकार को किसी एक को च्नने की अनियंत्रित शक्ति प्रदान की थी। अधिनियम के तहत त्वरित उपाय, या म्कदमे का सामान्य उपाय, इसे (भीकाजी नारायण धाक्रस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (11), और डीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (12)), में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देने के बाद आयोजित किया गया था कि बी शमा राव के मामले (19) (स्प्रा) में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय पूरी तरह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित शब्दों में मामले पर लागू था:_

"इस मामले (बी. शमा राव के मामले (19)) में निर्णय, मेरे सामने वाले मामले पर पूरी तरह लागू होता है। सार्वजनिक परिसर (अनिधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1958 की धारा 5, अन्च्छेद 14 का उल्लंघन

²⁰ A.I.R 1956 ALL. 507.

²¹ 1969 ALJ 499.

²² A.I.R 1968 Cal. 560.

करती है और अनुच्छेद 13(2) के तहत शून्य थी। यह अभी भी जन्मा और मृत था। चूँकि अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, इसलिए इस धारा को कोई भी मामला या कोई व्यक्ति के संबंध में जीवित नहीं कहा जा सकता। ऐसा लगता है मानो यह अनुभाग अस्तित्व में ही नहीं था। संशोधन अध्यादेश या संशोधन अधिनियम ने धारा 5 को फिर से अधिनियमित नहीं किया, बल्कि केवल धारा 10-ई को शुरू करके धारा 5 की बुराइयों को दूर करने का लक्ष्य रखा। चूँकि धारा 5 अभी भी पैदा हुई थी और अस्तित्व में नहीं थी, इसे धारा 10-ई की शुरूआत द्वारा पुनर्जीवित या पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। धारा 5 को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका बल्कि केवल पुनः अधिनियमित किया जा सका लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। संशोधन अध्यादेश और संशोधन अधिनियम धारा 5 को पुनर्जीवित करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं जो शुरू से ही शून्य थी।

अधिनियम की धारा 5 शुरू से ही शून्य है और पुनर्जीवित करने का प्रयास और इसके विफल होने पर इसे पुनर्जीवित करने के लिए, कानून का कोई वैध प्रावधान नहीं है जिसके तहत याचिकाकर्ता को विवादित भूमि से बेदखल करने में सैन्य संपदा अधिकारी या छावनी कार्यकारी अधिकारी की कार्रवाई को कायम रखा जा सके। कार्रवाई किसी भी कानून के अधिकार के बिना है।"

बनवारी लाई टंडन के मामले में जी.सी.माथुर, जे. का निर्णय (21) (सुप्रा) चारों तरफ है। मैं उस तर्क से आदरपूर्वक सहमत हूं जिस पर न्यायिधश माथुर का निर्णय आधारित है, और मैं उस मामले और हमारे सामने वाले मामले के बीच कोई भी अंतर देखने में असमर्थ हूं।

(26) इसी तरह का प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष डॉ. बावा आर. सिंह बनाम भारत संघ²³ के मामले में उठा। । उस मामले में राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि 1968 में 1958 के केंद्रीय अधिनियम 32 में धारा 10-ई को शामिल किया गया था, जिसकी धारा 4, 5 और 6 को इसके उपाध्यक्ष के रूप में मान्य किया गया था। बेदखल करने के लिए सरकार के पास खुले दो विकल्प थे, जिन्हें लागू प्रावधानों द्वारा हटा दिया गया था। दीप चंद मामले (12), महेंद्र लाई जैनी के मामले (13) और बी. शमा राव के मामले (19) में और बनवारी लाई टंडन के मामले (21) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देने के बाद न्यायधिश अंसारी दवारा निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया गया था: —

" उपरोक्त उद्धृत मामलों में निर्धारित नियम का पालन करते हुए, अल्लाहबाद उच्च न्यायालय ने बनवारी लाई टंडन बनाम सैन्य संपदा अधिकारी, (21) में माना है कि 'चूंकि अधिनियम की धारा 5 अभी भी पैदा हुई थी और अस्तित्व में नहीं था, इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सका या धारा 10-ई की शुरूआत द्वारा पुनर्जीवित किया गया और संशोधन अध्यादेश और संशोधन अधिनियम धारा 5 को पुनर्जीवित करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं जो शुरू में ही शून्य था।' इस न्यायालय ने भी पहले से ही उद्धृत निर्णय में वही दृष्टिकोण ले लिया है, अर्थात मैसर्स ट्रांस अटलांटिक एयरलाइंस इंक. बनाम एल.ए. 165/1970, 1967 की निष्पादन संख्या 4 से 7 में मार्च 10, 1970 को निर्णय लिया गया। इन सभी निर्णयों को देखते हुए मुझे लगता है कि इस तर्क के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है की धारा 10-ई अधिनियम ने अधिनियम की धारा 4 से 6 में मौजूद बुराई को हटा दिया था और अधिनियम की धारा 4 से 6 अब वैध हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादियों द्वारा अधिनियम की धारा 4 से 6 के तहत की गई कार्रवाई अवैध है।"

²³ 1970 PLR (Delhi) 261.

(27) प्रश्न यह है कि क्या कोई क़ानून जो अन्च्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर शून्य है संविधान को बाद के संशोधनों दवारा वैध बनाया जा सकता है, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने पी.एल. मेहरा, आदि बनाम डी.आर.खन्ना आदि, (14) में नकारात्मक निर्णय लिया था। पूर्ण पीठ के अधिकांश सदस्यों ने माना कि जो क़ानून संविधान के अन्च्छेद 13(2) के तहत अमान्य है, उसे "अभी-जन्मा" माना जाना चाहिए; "मृत" और "अस्तित्वहीन"; और जब तक इसे दोबारा अधिनियमित नहीं किया जाता तब तक यह पूरी तरह से निष्क्रिय होगा और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने उन विभिन्न तरीकों की गणना की, जिनसे किसी शून्य क़ानून को विधायिका द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है। जिस तरह से हरियाणा विधानमंडल ने 1971 के संशोधन अधिनियम द्वारा विवादित प्रावधान को मान्य करने का प्रयास किया है, वह इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। जिस प्रावधान के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ विचाराधीन बिंद् पर विचार कर रही थी, वह वही था जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बनवारी लाई टंडन (21) (उपरोक्त) के मामले में फैसला स्नाया था, और दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने डॉ. बावा आर. सिंह के मामले (23) (स्प्रा) में फैसला सुनाया था। यह माना गया कि 1958 के केंद्रीय अधिनियम 32 के रूप में, 1968 में अतिरिक्त धारा, अर्थात् धारा 10-ई को शामिल करके संशोधित किया गया था, आदेश का सहारा लेकर निष्कासन के वैकल्पिक उपाय को हटा दिया गया था किसी भी कानून में, संशोधन अप्रभावी रहा और 1958 का मुख्य अधिनियम शून्य बना रहा। इस मामले के संबंध में श्री जगन नाथ कौशल द्वारा जो तर्क मांगे गए थे, वे दिल्ली उच्च न्यायालय की पी. एल. मेहरा का मामला (14) (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के फैसले में न्यायधीश वी.एस. देशपांडे, के अल्पमत निर्णय पर आधारित हैं।

(28) विद्वान महाधिवक्ता ने अंततः यह तर्क देने की कोशिश की कि बी. शमा राव के मामले (स्प्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून बाद की घोषणा के मद्देनजर अप्रचलित हो गया है। मेसर्स देवी दास गोपाल कृष्णन, आदि बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (15), और दीप चंद के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणियाँ (12) (स्प्रा) और महेंद्र लाई जैनी (13) (स्प्रा) के मामले में मैसूर राज्य और अन्य बनाम वी. डी. अचैया चेट्टी (17) आदि के विपरीत बाद की घोषणा को ध्यान में रखते ह्ए फ़ील्ड को नहीं रखा गया है। डी. अचिया चेट्टी, (17) के मामले में, मैसूर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना की वैधता पर मैसूर उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया गया था। यह आग्रह किया गया था कि अधिसूचना में कोई विवरण नहीं दिया गया था और उसके बाद धारा 6 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप धारा 5-ए के तहत अधिग्रहण पर आपत्ति करने का अवसर अचिया चेट्टी और अन्य याचिकाकर्ताओं के पास खो गया। यह आगे तर्क दिया गया कि लेआउट पर योजना केवल बैंगलोर शहर सुधार अधिनियम, 1945 के तहत संभव थी, और सरकार की कार्रवाई भेदभावपूर्ण थी क्योंकि जबकि अन्य मामलों में सुधार के प्रावधान अधिनियम लागू किया गया, अचिया चेट्टी के मामले (17) में भूमि अधिग्रहण अधिनियम का सहारा लिया गया था। अचैया चेट्टी की रिट याचिका दायर होने के बाद और स्नवाई के लिए आने से पहले, मैसूर के राज्यपाल ने एक अध्यादेश प्रख्यापित किया जिसे बैंगलोर शहर स्धार (संशोधन) अध्यादेश कहा गया, जिसमें पूर्वव्यापी धारा 27-ए शामिल की गई थी। स्धार अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का अन्पालन कर दिया गया। इसके बाद अचैया चेट्टी ने संशोधन अध्यादेश और उस संशोधन अधिनियम को चुनौती दी जिसने अध्यादेश का स्थान ले लिया। उच्च न्यायालय ने अध्यादेश और संशोधन अधिनियम को इस संक्षिप्त आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि संविधान के अन्च्छेद 213 के खंड (1) के खिलाफ अध्यादेश को राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्देशों के बिना प्रख्यापित किया

गया था। संशोधन अधिनियम संविधान के अन्च्छेद 254 के खंड (2) के विरुद्ध है क्योंकि इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं किया गया था और उनके दवारा इस पर सहमति नहीं दी गई थी, इसके अतिरिक्त यह माना गया कि संविधान में समानता खंड के विरुद्ध भेदभाव के दोष को दूर करने की प्रक्रिया को संक्षिप्त किया गया। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील में यह माना गया कि विधानमंडल हमेशा स्धार अधिनियम को पूर्वव्यापी रूप से निरस्त कर सकता था, जिससे सभी अधिग्रहण अकेले मैसूर भूमि अधिग्रहण अधिनियम द्वारा शासित होते, और चूँकि बाद में पारित किए गए वैधीकरण अधिनियम ने अध्याय ॥। से उत्पन्न होने वाले किसी भी निहितार्थ पर विचार करने से पूरी तरह से हटा दिया या स्धार अधिनियम की धारा 52 बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि यदि वह अधिनियम पारित नहीं किया गया था और वैध अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि अधिग्रहणों को इस आधार पर प्रश्न में नहीं ब्लाया जा सकता है कि राज्य सरकार अधिग्रहण करने में सक्षम नहीं था, असंवैधानिकता की ब्राई को दूर कर दिया गया था क्योंकि भारत में विधायिका की सर्वोच्चता उनके अधिकार क्षेत्र की संवैधानिक सीमाओं के भीतर उतनी ही पूर्ण है जितनी कि ब्रिटिश संसद की। श्री कौशल ने यह तर्क देने की कोशिश की कि डी. अचिया चेट्टी के मामले (17) (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महेंद्र लाई जैनी(13) के मामले में निर्धारित कानून के अन्रूप नहीं है और इसलिए, हमें बाद के फैसले का पालन करना चाहिए और दीप चंद के मामले (12) और महेंद्र लाई जिननी के मामले (131) में दिए गए फैसलों को नजरअंदाज करना चाहिए। यह तर्क हमें ग़लत प्रतीत होता है। कम से कम एक विद्वान न्यायाधीश (न्यायधिश जे.सी. शाह) उस बेंच का सदस्य था जिसने महेंद्र लाई जैनी के मामले (13) का फैसला किया था और साथ ही उस बेंच का भी सदस्य था जिसने डी. अचैया चेट्टी के मामले (17) का फैसला किया था। दीप चंद के मामले (12) या महेंद्र लाई जैनी के मामले (13) में स्प्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों या उस विषय पर अभी भी पहले के फैसलों का कोई संदर्भ नहीं दिया गया, जाहिर है क्योंकि सवाल अचैया चेट्टी के मामले (17) में शामिल मामले पहले के मामलों में तय किए गए से अलग थे। अचैया चेट्टी के मामले (17) में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ जिन पर श्री कौशल ने सबसे मजबूत भरोसा जताया, वे ये हैं: –

"यदि दो प्रक्रियाएं मौजूद हैं और एक का पालन किया जाता है और दूसरे को खारिज कर दिया जाता है, तो हो सकता है किसी दिए गए मामले में भेदभाव पाया जा सकता है। लेकिन विधायिका के पास अभी भी प्रक्रियाओं में से किसी एक को पूर्वव्यापी रूप से कार्रवाई से बाहर करने की क्षमता है, केवल एक ही प्रक्रिया उपलब्ध है, जिसका पालन किया गया है, और इस प्रकार भेदभाव को गायब कर दिया गया है। इस तरीके से एक मान्य अधिनियम भेदभाव से छुटकारा पा सकता है। विद्वान वकील ने, हालांकि, उसी निर्णय में निम्नलिखित सफल वाक्य को उचित महत्व नहीं दिया है: -

"जहां, हालांकि, विधायी क्षमता उपलब्ध नहीं है, भेदभाव सदैव बना रहना चाहिए क्योंकि उस भेदभाव को केवल उस विधायिका द्वारा ही हटाया जा सकता है जिसके पास दो में से एक प्रक्रिया बनाने की शक्ति है, न कि उस विधायिका द्वारा जिसके पास यह शक्ति नहीं है ।"

फिर से उस निर्णय के अनुच्छेद 16 में, उनके आधिपत्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि विधानमंडल की शक्तियों पर एकमात्र अंकुश राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता थी और जिसे स्वीकार्य रूप से प्राप्त किया गया था पिछले अवसर के विपरीत जब संशोधन अधिनियम ऐसी सहमति के अभाव में विफल हो गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि डी. अचिया चेट्टी के मामले (17) में, कानून बनाने की विधायी क्षमता को किसी भी मौलिक अधिकार का

अपमान करना के कारण कोई चुनौती नहीं थी, या तो इसकी अक्षमता के कारण या कानून के कारण। इसके अलावा, वर्तमान मामले में कोई वैध अधिनियम पारित नहीं किया गया है जैसा कि मैसूर मामले में किया गया था। मैसूर अधिनियम में कोई भी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत शून्य नहीं था। किसी भी घटना में, हमारे मामले में धारा 14-ए को दी गई पूर्वव्यापीता 1957 से पहले की नहीं है जब विवादित प्रावधान अधिनियमित किया गया था। पूर्वव्यापीता को जनवरी, 1968 तक नए प्रावधान को वापस लेने की सीमा तक सीमित कर दिया गया है, यह संभवतः धारा 6 को मान्य नहीं कर सकता है, जिसे उस तारीख से ग्यारह साल पहले अधिनियमित किया गया था, और माना गया था कि क़ानून की किताब पर सैद्धांतिक रूप से अस्तित्वहीन है। डी. अचैया चेट्टी का मामला (17), हमारी राय में, दीप चंद के मामले (12) या महेंद्र लाई जैनी के मामले (13) में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों को खारिज या निरस्त नहीं करता है। दोनों मामलों (एक मान्य अधिनियम पारित करने का और दूसरा संशोधन द्वारा उपाध्यक्ष को हटाने की मांग) के बीच का अंतर दिल्ली उच्च न्यायालय की पी. एल. मेहरा केस (14) में पूर्ण पीठ के फैसले में विषय पर चर्चा से भी स्पष्ट है।

(29) श्री कौशल के इस तर्क का दूसरा चरण यह था कि बी. शमा राव केस (19) में स्प्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव (स्प्रा) मेसर्स देवी दास गोपाल कृष्णन, बनाम पंजाब राज्य और अन्य (15) (स्प्रा) आदि के मामले में उनके आधिपत्य की टिप्पणियों से काफी हद तक कमजोर हो गया है। हम विदवान वकील से सहमत होने में असमर्थ हैं क्योंकि मुख्य न्यायधीश सुब्बा राव, जिन्होंने मेसर्स देवी दास गोपाल कृष्णन (15) के मामले में न्यायालय का निर्णय तैयार किया था, उस पीठ के सदस्य थे जिसने बी शमा राव के मामले (19) में भी निर्णय लिया था, और विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा (निर्णय के पैराग्राफ 20 में) कि बी शमा राव के मामले (19) में न्यायालय का पिछला निर्णय स्पष्ट रूप से अलग था। मेसर्स देवी दास कोपल कृष्णन (15) के मामले में, इस न्यायालय ने माना था कि पूर्वी पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 अमान्य थी क्योंकि यह कार्यपालिका को बिक्री पर कर उस दर पर जिसे वह उचित समझे लगाने की असीमित शक्ति देती थी, लेकिन 1952 के पंजाब अधिनियम 19 द्वारा धारा 5 में संशोधन करके एक सीमा की श्रुआत की जिसके भीतर कर लगाया जा सकता था, और उसने मूल अधिनियम में दोष को ठीक कर दिया और इसे नया जीवन देने का प्रभाव डाला। इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ मेसर्स देवी दास गोपाल कृष्णन आदि द्वारा की गई अपील में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दो प्रश्नों पर बहस की गई, अर्थात् (1) क्या 1948 के मूल पंजाब अधिनियम की धारा 5, जैसे मूल रूप से यथावत है, शून्य है और (ii) यदि उक्त धारा शून्य थी, तो क्या संशोधन इसे जीवंत बना सकता है। पहले सवाल पर स्प्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 5 के तहत, जैसा कि यह मूल रूप से था, प्रांतीय सरकार को ऐसी दरों पर कर लगाने की अनियंत्रित शक्ति प्रदान की गई थी जैसा कि सरकार निर्देशित कर सकती थी, और ऐसा प्रावधान बनाकर, विधानमंडल ने दरों के निर्धारण के मामले में ख्द को व्यवहारिक रूप से नष्ट कर दिया था और उसने न तो उस धारा के तहत और न ही अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत कोई मार्गदर्शन दिया था, और इसलिए, धारा 5 संशोधन शून्य होने से पहले यथावत थी। दूसरे प्रश्न पर, यह माना गया कि यदि संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियम में अतिरिक्त शब्दों के साथ धारा 5 को शामिल किया गया है, तो संभवतः कोई आपित नहीं हो सकती है क्योंकि वह मौजूदा कानून का संशोधन होगा, और वास्तव में संशोधन का प्रभाव वही ह्आ। यह देखा गया कि संशोधन प्रावधान में शब्द "हमेशा इस प्रकार डाले गए माने जाएंगे" से संकेत मिलता है कि धारा 5, जैसा कि संशोधित है, को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अधिनियम में डाला गया है। हमारे मामले में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, धारा 6 ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। एक प्रावधान शामिल किया गया है जिसके द्वारा धारा 6 को असंवैधानिक बनाने वाली बुराई को दूर करने की मांग की गई है। उस प्रक्रिया को वास्तव में पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1948 के मामले में अपनाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 13(1) द्वारा प्रभावित संविधान-पूर्व कानून था, लेकिन धारा 6 जैसे प्रावधान का जो अभी भी जन्मा हुआ था, मामले में इसका कोई फायदा नहीं हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही कहा गया है, मृत प्रावधान के अधिनियमन के समय तक पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया है। जबिक सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि उसके पहले के फैसले में बी. शर्मा राव का मामला (19) अलग-अलग तथ्यों पर था (जो हमारे मामले के तथ्यों के करीब थे), यह राज्य को आग्रह नहीं करना चाहिए वास्तव में उनके आधिपत्य ने उनके पहले के फैसले मेसर्स देवी दस गोपाल कृष्ण(15) को खारिज कर दिया है।

उपरोक्त कारणों से, यह माना जाता है:-

- (1) 1957 के पंजाब अधिनियम 24 के अन्य प्रावधान, अलग नहीं हैं और इसकी धारा 2 से स्वतंत्र और अलग नहीं रह सकते जिसके तहत 1949 के मूल अधिनियम में धारा 6 को शामिल किए जाने की मांग की गई थी।
- (2) 1957 के अधिनियम की धारा 2 और धारा 6 मूल अधिनियम में शामिल किए गए कानून संविधान के लागू होने के बाद अधिनियमित किए गए थे, और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत यदि वे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो वह रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी थे। अधिनियम की धारा 6 स्वयं एक संविधान-पश्चात कानून थी।
- (3) पंजाब किरायेदारी अधिनियम की धारा 77 के तहत राजस्व न्यायालय में सामान्य सिविल कार्यवाही का सहारा लेकर एक पट्टेदार (जिसके पक्ष में अधिनियम की धारा 5 के तहत एक पट्टा प्रदान किया गया था) को बेदखल करना।
- (4) अधिनियम की धारा 6 ने कलेक्टर को पंजाब किरायेदारी अधिनियम की धारा 77 के तहत पहले से मौजूद सामान्य उपाय की तुलना में एक वैकल्पिक और अधिक कठोर उपाय उपलब्ध कराया।
- (5) अधिनियम की धारा 6 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (प्राइवेट) लिमिटेड(3) (सुप्रा), के मामले में न्यायलय द्वारा दिए गए कारणों से संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी का उल्लंघन होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया है।
- (6) विवादित प्रावधान (धारा 6) संविधान के बाद का कानून है और बनाया गया है संविधान के अनुच्छेद 13(2) में निहित स्पष्ट निषेध के उल्लंघन में शुरू में शून्य, मृत और कानून की नजर में अस्तित्वहीन था, और बाद में धारा 6 की उपस्थिति के कारण वैकल्पिक उपाय को बाद की तारीख से प्रभावी रूप से हटाकर, इसे मान्य नहीं किया जा सका जो कि घृणित भेदभाव के दोष से ग्रस्त था; और
- (7) कलेक्टर (प्रतिवादी संख्या 2) के पास धारा 6 के शून्य और गैर-मौजूद प्रावधानों के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, और, इसलिए, पूरी कार्यवाही को उस प्रावधान के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो गैर-स्थायी है, और अपीलकर्ताओं के खिलाफ पारित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं।

(30) हालांकि इन सभी अपीलों का निपटारा ऊपर हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के आधार पर किया जा सकता है, वकील के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, विकल्प में उसके दवारा दिए गए एक अन्य तर्क पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है। श्री आनंद सरूप ने प्रस्त्त किया कि धारा 6 के अधिकार के प्रश्न के अलावा, वर्तमान मामलों में कलेक्टर की कार्रवाई श्रू से ही शून्य थी, क्योंकि वह प्रामाणिक नहीं थी। गलत धारणाओं का अन्मान (आईएल) इस तथ्य से लगाया गया था कि पट्टे 15 वर्षों से अधिक समय से जारी थे और सरकार पिछले वर्षों के दौरान 15 जनवरी के बाद किराया प्राप्त कर रही थी और स्वीकार कर रही थी, और, इसलिए, अपीलकर्ताओं और बड़ी संख्या में ऐसे अन्य व्यक्तियों के पट्टों को निर्धारित करने का वास्तविक कारण उस स्पष्ट कथित आधार के अलावा कुछ और होना चाहिए जिस पर कार्रवाई की गई थी: (ii) जिस गति से कार्रवाई एक ही दिन के दौरान बड़ी संख्या में व्यक्तियों के खिलाफ की गई, नोटिस की सेवा और स्नवाई की तारीख के बीच समय अंतराल अधिकांश मामलों में केवल एक या दो दिन रहा; (iii) जब कलेक्टर को स्नवाई के दौरान किराए की पूरी राशि की पेशकश की गई तो उसने उसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया और पट्टेदारों को किराए के भ्गतान में देरी के लिए पट्टे ज़ब्ती से राहत देने के विशेष प्रश्न पर कलेक्टर की कार्रवाई पर बिल्क्ल भी विचार नहीं किया। (iv) छोटी रकम भ्गतान न करने पर शेष अविध के लिए मूल्यवान पट्टे रद्द कर दिए गए, (v) पट्टों के निर्धारण की कार्रवाई करनाल जिले के कैथल क्षेत्र तक ही सीमित कर दी गई है जिसमें क्षेत्र में अधिकांश पट्टेदार पंजाबी भाषी थे; (vi) वह नियमित तरीका जिसमें कलेक्टर मामलों का निपटारा करता था और आदेशों के रिक्त प्रपत्र तैयार करके बड़े पैमाने पर पहले से तैयारी की जाती थी, जिसमें विभिन्न मामलों के लिए पांड्लिपि में केवल रिक्त स्थान भरे जाते थे; और (vii) जिस तरह से कलेक्टर ने कुछ मामलों में यह पढ़ने की भी परवाह नहीं की कि पट्टेदारों की दलील क्या थी और सटीक बचाव से निपटने के बिना पट्टों का निर्धारण करने वाले आदेश पारित कर दिए। श्री आनंद सरूप के अनुसार, मामुली चुक के कारण पट्टेदारों के खिलाफ इस व्यापक कठोर कार्रवाई का वास्तविक कारण, जिस तरह का पहले कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया था, वह हरियाणा सरकारी प्राधिकारियों का पंजाबी भाषी लोगों को उस क्षेत्र से, जिस पर पंजाब अपना दावा कर रहा था, भाषाई आधार पर, बाहर निकालने का प्रयास था, जहां तक संभव हो, जिसके निर्धारण के लिए एक सीमा आयोग की निय्क्ति का प्रश्न था। उन दिनों छ्ट्टी हो रही थी। हमारे समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी गई है जो हमें विद्वान परामर्श के इस प्रस्त्तीकरण पर क्छ कहने में सक्षम बना सके। वास्तव में इस संबंध में रिट याचिका में जो कुछ भी कहा गया है वह यह है (पैराग्राफ 9) कि विवादित आदेश "एक पूर्व-निर्धारित उद्देश्य के साथ नियमित रूप से पारित किया गया है, न कि उचित विचार के बाद" प्रासंगिक तथ्य" और (पैराग्राफ 11-एफ) "यह आदेश दुर्भावनापूर्ण है क्योंकि इसे स्पष्ट रूप से राजनीतिक विचारों पर पारित किया गया है जो अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग से परे हैं। केवल आक्षेपित आदेश को दुर्भावनापूर्ण करार देकर और केवल यह स्झाव देकर कि इसे पूर्व-निर्धारित तरीके से पारित किया गया है और यह बताए बिना की वह पूर्व-निर्धारित उद्देश्य क्या था, और यह बताए बिना कि राजनीतिक विचार क्या थे जो अप्रासंगिक थे, अपीलकर्ताओं को इस आधार पर जांच के लिए कोई मामला बनाने के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऊपर उल्लिखित अस्पष्ट आरोपों का उत्तरदाताओं द्वारा उनके रिटर्न के संबंधित पैराग्राफ में उसी अस्पष्ट तरीके से खंडन किया गया है। यह कहा गया है कि आदेश मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद पारित किया गया है, न कि सामान्य बात के रूप में, और यह कि आक्षेपित आदेश राजनीति से प्रेरित नहीं था। इस स्थिति में इन अपीलों में दुर्भावना के प्रश्न पर विचार करना और निर्णय लेना असंभव है।

(31') मेरे द्वारा पहले दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मैं इन सभी पांच अपीलों को उलटने की अनुमित दूंगा विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय अपीलकर्ताओं की रिट याचिकाओं को मंजूर करता है और अधिनियम की धारा 6 के तहत उनके पट्टों को समाप्त करने के लिए लागू किए गए आक्षेपित आदेश को रद्द करता है, और उत्तरदाताओं को इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोकता है। आदेश के अनुसरण में अपीलार्थीगण प्रतिवादी संख्या 1 इस न्यायालय में अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए खर्चों का भुगतान करेगा, जिसमें रिट याचिका में उनके द्वारा किए गए खर्च भी शामिल हैं।

न्यायधिश एच. आर. सोढ़ी,.- मैं सहमत हूं:

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तािक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा